# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[ चौदहवां सत्र / Fourteenth Session ]

5th Lok Sabha

[ खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

# विषय सूची/CONTENTS

अंक 13, बुधवार, 6 अगस्त, 1975/15 श्रावण, 1896 (शक)

*No.* 13, *Wednesday, August* 6, 1975/*Sravana* 15, 1897 (*Saka*)


| विषय | SUBJECT | PAGES |
|---|---|---|
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers laid on the Table . . . . | 1-2 |
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारणि | Committee on Absence of Members from sittings of the House—Minutes . . | 3 |
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपथिति | Leave of Absence of Members from sittings of the House . . . . . | 3 |
| संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक—पुर:-स्थापित | Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill—*Introduced.* . | 3-4 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider . . . . . | 4 |
| श्री के० रघुरामैया | Shri K. Raghu Ramaiah . . . . | 4 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S. M. Banerjee . . . . | 5 |
| पं० डी० एन० तिवारी | Shri D. N. Tiwary . . . . . | 5 |
| श्री राम सहाय पाण्डेय | Shri R. S. Pandey . . . . . | 5-6 |
| श्री के० हनुमन्तैया | Shri K. Hanumanthaiya . . . . | 6 |
| श्री आर० वी० स्वामीनाथन | Shri R. V. Swaminathan . . . | 6-7 |
| श्री मोहन धारिया | Shri Mohan Dharia. . . | 7 |
| श्री इब्राहीम सुलेमान सेट | Shri Ebrahim Sulaiman Sait . . | 7 |
| श्री एस० ए० कादर | Shri S. A. Kader . . . . | 7—9 |
| खण्ड 2, 3 तथा 1 | Clauses 2, 3 and 1 . . . | 10—11 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to Pass . . . . . | 11 |
| श्री मूल चन्द डागा | Shri M. C. Daga . . . . . | 11 |
| डा० कैलास | Dr. Kailas . . . . . | 11-12 |
| श्री वसंत साठे | Shri Vasant Sathe . . . . . | 12 |
| सीमा शुल्क टेरिफ विधेयक — | Customs Tariff Bill . . . | 12 |
| विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में | Motion to consider, as reported by Select Ccommittee. . . . . | 12 |
| श्री प्रणव कुमार मुखर्जी | Shri Pranab Kumar Mukherjee . | 12-13 |

| विषय | SUBJECT | PAGES |
|---|---|---|
| श्री इसहाक सम्भली | Shri Ishaq Sambhali . . . . | 13-14 |
| श्री अरविन्द बाल पजनौर | Shri Arvind Bala Paianor . . . | 14-15 |
| खण्ड 2 से 13 तथा 1 | Clauses 2 to 13 and 1 . . . | 17 |
| पारित करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में | Motion to pass, as reported by Select Committee . . . . . | 17 |
| श्री इसहाक सम्भली | Shri Ishaq Sambhali . . . | 17 |
| श्री डी० डी० देसाई | Shri D. D. Desai . . . . | 17-18 |
| श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य | Shri Chaplendu Bhattacharyyia . . | 18 |
| श्री प्रणव कुमार मुखर्जी | Shri Pranab Kumar Mukherjee. . . | 18 |
| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव | Motion Re. Annual Report of University Grants Commission for 1972-73 . . | 19 |
| प्रो० एस नुरूल हसन | Prof. S. Nural Hasan . | 19-20 |
| श्री सी० के० चन्द्रप्पन | Shri C. K. Chandrappan | 20—22 |
| श्री सुधाकर पाण्डेय | Shri Sudhakar Pandey . | 22-23 |
| श्री शंकर दयाल सिंह | Shri Shanker Dayal Singh . | 23-24 |
| प्रो० नारायण चन्द पाराशर | Prof. Narain Chand Parashar . | 24-25 |
| श्री जी० विश्वनाथन | Shri G. Viswanathan . . | 25-26 |
| श्री रुद्र प्रताप सिंह | Shri Rudra Pratap Singh . | 26 |
| श्री धामनकर | Shri Dhamankar . . . | 27 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri . . | 27-28 |
| श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान | Shri Md. Jamillurrahman . . | 28-29 |
| श्री लीलाधर कटकी | Shri Liladhar Kotoki . . | 29-30 |
| श्री अरबिन्द वाल पजनौर | Shri Arvinda Bala Pajanor . | 30 |
| श्री पी० एथनी रेड्डी | Shri P. Antony Reddy . | 30-31 |
| श्री पी गंगा रेड्डी | Shri P. Ganga Reddy . . | 31-32 |
| श्रीमती रोजा देशपांडे | Shrimati Roza Deshpande . | 32 |
| श्री विश्वनारायण शास्त्री | Shri Biswanarayan Shastri . . | 32-33 |
| श्री राजदेव सिंह | Shri Rajdeo Singh . | 33-34 |
| श्री बी० आर० शुक्ल | Shri B. R. Shukla . . | 34 |
| श्री शिवनाथ सिंह | Shri Shivnath Singh | 34-35 |

# सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

## पंचम लोक सभा

### अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

### आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

### इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

### उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

### ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

### क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दबान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपूर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दाम णी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मराज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री आन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)

ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)

ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)

ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)

भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)

भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)

भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)

भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)

भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)

भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)

भार्गव, श्री वंशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)

भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)

भुवाराहन, श्री जी० (मैट्टूर)

भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)

मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)

मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)

मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)

मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)

मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)

मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)

महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)

महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)

महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)

महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)

महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)

मांझी, श्री भोला (जमुई)

मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)

मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)

मारक, श्री के० (तुर)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)

मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)

मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)

मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)

मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)

मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)

मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)

मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)

मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)

मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)

मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)

मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)

मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)

मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)

मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)

मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)

मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)

मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)

मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)

मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)

मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदांयू)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंड रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचे ट्रिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री राबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(हं)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

# लोक सभा

**अध्यक्ष**

डा० जी० एस० ढिल्लों

**उपाध्यक्ष**

श्री जी० जी० स्वैल

**सभापति तालिका**

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

**महासचिव**

श्री श्याम लाल शकधर

## भारत सरकार

## मंत्रिमंडल के सदस्य

| | |
|---|---|
| प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री | श्रीमती इन्दिरा गांधी |
| विदेश मंत्री | श्री यशवन्तराव चव्हाण |
| कृषि और सिंचाई मंत्री | श्री जगजीवन राम |
| रक्षा मंत्री | श्री स्वर्ण सिंह |
| नौवहन और परिवहन मंत्री | श्री उमाशंकर दीक्षित |
| विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री | श्री एच० आर० गोखले |
| पैट्रोलियम और रसायन मंत्री | श्री के० डी० मालवीय |
| उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री . | श्री टी० ए० पाई |
| निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री | श्री के० रघुरामैया |
| पर्यटन और नागर विमानन मंत्री | श्री राज बहादुर |
| गृह मंत्री | श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी |
| संचार मंत्री | डा० शंकर दयाल शर्मा |
| स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री | डा० कर्ण सिंह |
| वित्त मंत्री | श्री सी० सुब्रहमण्यम |
| रेल मंत्री | श्री कमलापति त्रिपाठी |

## मंत्रालयों/विभागों के प्राभारी राज्य मंत्री

| | |
|---|---|
| वाणिज्य मंत्री | प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय |
| योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री आई० के० गुजराल |
| पूर्ति और पुनर्वास मंत्री | श्री आर० के० खाडिलकर |
| शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री | प्रो० नुरूल हसन |
| ऊर्जा मंत्री | श्री कृष्ण चन्द्र पन्त |

| | |
|---|---|
| श्रम मंत्री | श्री रघुनाथ रेड्डी |
| इस्पात और खान मंत्री | श्री चन्द्रजीत यादव |

## राज्य मंत्री

| | |
|---|---|
| पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री के० आर० गणेश |
| उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री ए० सी० जार्ज |
| कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री शाहनवाज खां |
| विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री | महिषी डा० सरोजिनी |
| उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री बी० पी० मौर्य |
| गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री | श्री ओम मेहता |
| रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री | श्री राम निवास मिर्धा |
| वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री प्रणब कुमार मुखर्जी |
| रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी |
| उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री ए० पी० शर्मा |
| कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री विद्याचरण शुक्ल |
| पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री सुरेन्द्र पाल सिंह |
| नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री एल० एम० त्रिवेदी |

## उप–मंत्री

| | |
|---|---|
| उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री जियाउर्रहमान अंसारी |
| विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री वेदव्रत बरुआ |
| विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री बिपिनपाल दास |
| स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री ए० के० एम० इसहाक |
| पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री सी० पी० माझी |
| गृह मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री एफ़० एस० मोहसिन |

| | |
|---|---|
| शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री | श्री अरविन्द नेताम |
| संचार मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री जगन्नाथ पहाड़िया |
| कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री प्रभुदास पटेल |
| रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री जे० बी० पटनायक |
| संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री | श्री बी० शंकरानन्द |
| ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री | प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद |
| इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री सुखदेव प्रसाद |
| वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री] | श्रीमती सुशीला रोहतगी |
| रेल मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री बूटा सिंह |
| निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री दलबीर सिंह |
| कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री केदार नाथ सिंह |
| वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री धर्मवीर सिंह |
| पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री जी० वेंकटस्वामी |
| श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री बाल गोविन्द वर्मा |
| शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री | श्री डी० पी० यादव |

# लोक सभा

## LOK SABHA

बुधवार, 6 अगस्त, 1975/15 श्रावण, 1897 (शक)

Wednesday, August 6, 1975/Sravana 15, 1897 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair* ]

## सभा पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचना

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 908 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 26 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं। [ ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 9923/75 ]

### कम्पनी अधिनियम के अधीन अधिसूचना तथा विलम्ब सम्बन्धी विवरण

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पन अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) कम्पनी (लाभों का आरक्षित निधि में अन्तरण) नियम, 1975 जो दिनांक 26 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 426 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (आरक्षित निधि से लाभांश की घोषणा) नियम, 1975 जो दिनांक 26 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 427 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अंग्रेजी संस्करणों के साथ उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9924/75]

**भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (कब्जा) नियमों को सिक्किम राज्य पर लागू करने के बारे में अधिसूचना**

**संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया)** : मैं भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 10 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सां० आ० 344 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 10 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ़ी (कब्जा) नियम, 1965 सिक्कम राज्य पर लागू किये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 9925/75]

**कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1975 और औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1975**

**श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 871 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9926/75]

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 931 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल टी० 9927/75]

---

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
## Committee on absence of Members

### कार्यवाही सारांश

**श्री एस० एम० सिद्देया** (चामराजनगर): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 23 वीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

---

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
## Committee on absence of Members from the sittings of House

**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 22 वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दी गई अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये :—

(1) श्री मोरार जी आर० देसाई
(2) श्री एम० टी० राजू
(3) श्री मधु दण्डवते
(4) श्री पी० वी० जी० राजू
(5) श्री विभूति मिश्र
(6) श्री राम धन
(7) श्री समर गुह
(8) श्री श्यामनन्दन मिश्र
(9) श्री नरेन्द्र सिंह
(10) श्री नुरुल हुडा

क्या सभा समिति की सिफारिश के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करती है ?

**अनेक माननीय सदस्य** : जी, हां।

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

---

## संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक
## Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)**: श्रीमन मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

**श्री के० रघुरामैया** : श्रीमन मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

श्रीमन मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी समिति ने कई सिफारिशें कीं जैसे बिना किराये के 'ए' टाइप फलैट जिसमें नौकरों के लिये भी क्वार्टर हों, प्रति वर्ष 600 रुपये तक के बिजली पानी के बिल सरकार द्वारा चुकाये जायें । उन्हें सभी सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जायें। 50 रुपए प्रति माह डाक टिकटों के खर्च के लिये दिये जायें। सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने हेतु परिवहन सुविधाएं दी जायें, वातानुकुलित डिब्बे की यात्रा, अविवाहित, विधवा/विधुर संसद् सदस्यों के परिवारों के लिये रेल पास की सुविधा तथा यही सुविधा संसद् सदस्यों के पति अथवा पत्नी को उनके साथ काम में सहायता करने वाले स्टेनोग्राफ़रों इत्यादि को भी प्रदान की जाये। इनमें से कुछ सिफ़ारिशें पहले से ही क्रियान्वित करदी गई हैं और सरकार अन्य सिफ़ारिशों पर विचार कर रही है। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे देश में संसद् सदस्यों को विश्व के ससद् सदस्यों की तुलना में सबसे कम आय और भत्ते प्राप्त है पर माननीय सदस्य वर्तमान आर्थिक स्थिति और सरकार की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए उसकी मजबूरी को समझेंगे। सदस्यों के संतोषजनक रूप में कार्य न कर पाने और उनको सदन के भीतर और बाहर होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें कुछ और सुविधाय प्रदान करने का फ़ैसला किया है, अधिनियम की धारा 8 में आवास और डाक सुविधाओं की व्यवस्था है लेकिन पानी, बिजली, निर्वाचन क्षेत्र और कार्यालय सुविधाओं के बारे में कोई व्यवस्था नहीं । इन सबका उल्लेख संयुक्त समिति द्वारा बनाय जाने वाले नियमों में किया जाना चाहिये था लेकिन उन्हे ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिये अधिनियम में उपबन्ध होना चाहिये। अत: अधिनियम में संशोधन करके आवास तथा डाक सुविधाओं के साथ यह शब्द पानी, बिजली, निर्वाचन क्षेत्र और कार्यालय सम्बन्धी सुविधायें भी जोड़े जायेंगे।

कुछ सुविधायें उन्हें वास्तविक रूप में प्रदान की जायेंगी लेकिन कुछ अन्य सुविधाओं को उसी रूप में जुटा पाना सम्भव नहीं। उदाहरण के लिये निर्वाचन क्षेत्रों में यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था इत्यादि मामले पर समग्र रूप से विचार करने के बाद हमने सोचा कि इसे नियम समिति पर छोड़ना बेहतर है क्यो कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत क्या दिया जाये इस बारे में वह सरकार से परामर्श अवश्य करेगी लेकिन इस कार्य के लिये समर्थ बनाने हेतु विधेयक में एक उपबन्ध होना चाहिये और यही इस विधेयक का उद्देश्य है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : सदस्यों को अपने निर्वाचन-क्षेत्र से आये मेहमानों की खातिर करने पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है । उन्हें प्रतिदिन दो तीन रुपये डाक टिकटों पर खर्च करने पड़ते है । साथ ही टेलीफोन का भी काफी ज्यादा बिल अदा करना पड़ता है । कई सदस्यों को अंशकालिक टाइपिस्ट भी रखने पड़ते हैं । फलस्वरूप उनका बहुत खर्च होता है ।

लेकिन सदस्यों को रियायतें प्रदान करने का यह उचित अवसर नहीं है । यह बड़े दुःख की बात होगी यदि हमें इस आपात स्थिति के दौरान जबकि देश में खर्च कम करने की बात की जा रही है, कुछ रियायत दी जायें । जब तक केन्द्रीय कर्मचारियों को उनकी महंगाई भत्ते की देय 6 किश्तों का भुगतान नहीं किया जाता तब तक हमें रियायतें न दी जायें । मंत्री महोदय हमें इस बात का आश्वासन दें कि जब तक केन्द्रीय कर्मचारियों को उनकी महंगाई भत्ते की देय छह किश्तें नहीं दी जातीं तब तक सदस्यों को और कोई सुविधायें प्रदान नहीं की जायेंगी ।

**Shri D. N. Tiwary** (Gopalganj): This Bill has been brought forward after considerable delay. The Committee had submitted its recommendations 2½ years ago. There is great need for increasing the salaries and allowances of Members of Parliament as they are lowest paid legislators in the world.

The Committee has recommended that the Members should be provided with rent-free 'A' type flats, free postage stamps and he should be allowed to use Government jeeps for touring their constituencies. It is sad that the Hon'ble Minister has paid no heed to these recommendations.

As for secretarial service, we have suggested that there should be at least one stenographer for four M. Ps. But Government is giving us assistance in cash which is very insufficient. It would have been better if Government had provided this assistance in kind and not in cash.

The assistance of Rs. 500 being provided to us for various facilities is too meagre to meet our requirements. The proposed amendment will not help us get some more assistance. On the contrary people will censure us.

Government have not cut down their other expenditure but when the question of increasing the salaries and allowances of M.Ps. came, Government have started thinking in terms of effecting economy. It is very improper. Government should pay adequate salaries and allowances to M. Ps. so that they may carry on their Parliamentary work smoothly. The matter needs to be reviewed in its entirety and rules may be framed so as to provide more facilities to Members of Parliament.

**Shri R. S. Pandey** (Rajnandgaon): The salaries of Members of Parliament are too less. They have to spend a lot on entertaining the guests from their consti-

[Shri R. S. Pandey]

tuencies. They have to maintain two establishments, one in Delhi and the other in their respective constituencies. They cannot manage all these heavy expenses within their limited selaries and allowances. If Government want M. Ps. to perform their duties efficiently, they should seriously think in terms of revising the salaries and allowances of M.Ps.

Government should also consider the question of granting pension to M. Ps. It is very essential. A Member who has worked for five years should get some pension so that he may maintain his dignity in the political life.

M. Ps. have to spend much on their correspondence with the people of their constituencies. Therefore, they should be paid some allowance for postage stamps. Members receive a large number of letters and they have to reply to these letters. Therefore, they should also be provided with some stenographic assistance.

We should be provided with facilities of steno, postage and sufficient allowance to meet electric and water charges.

**श्री के० हनुमन्तैया** (बंगलौर) : वेतन और भत्तों की वृद्धि के मामले में इस सभा में एकमत के बारे में कोई सन्देह नहीं है । सम्बद्ध समिति ने तथ्य तथा आंकड़े एकत्र किये हैं ।

मैं जब प्रशासन सुधार आयोग का सभापति था तब मुझे मंत्रिमंडल के सदस्य से अधिक वेतन मिलता था प्रत्येक बैठक के लिये 51 रुपए प्राप्त होते थे तथा टेलीफोन की सुविधा प्राप्त थी । मंत्री बनते ही ये सब सुविधाएं समाप्त हो गयी । 500–600 रुपये तो टेलीफोन बिल के ही देना पड़ते थे ।

मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन की सुविधाएं दी जायें क्योंकि उन्हें अपने निर्वाचित क्षेत्र के पास सम्बन्ध बनाये रखना पड़ता है ।

दूसरी ओर पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है और हमें संतुलित बजट रखना पड़ता है । मुझे पता चला है कि प्रत्येक सदस्य को बिजली आदि की सुविधाओं के लिये 500 रुपये दिये जा रहें हैं । मेरा प्रस्ताव है कि सदस्यों मंत्रियों, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 250 रुपयें यात्रा भत्ता दिया जाये ।

सदस्यों का वेतन बढ़ा कर इतना कर देना चाहिए कि यह 8000 रुपये वार्षिक बन जाये । दैनिक भत्ते को 51 रु० से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया जाये ।

हम सरकार से यह नहीं कहते कि वह संसद सदस्यों के प्रति उदार रवैया अपनाए अपितु यह आशा जरूर करते हैं कि वह उनके साथ न्याय करे । 15 वर्षों में महंगाई बहुत बढ़ी है और हमने वृद्धि की मांग नहीं की है ।

**श्री आर० बी० स्वामीनाथन्** (मदुरै) : मैं भी सिफारिशें करने वाली समिति का सदस्य रहा हूं । समिति के सदस्यों का इस बारे में मतैक्य था कि सदस्यों को पेंशन दी जाये । कई देशों में तथा भारत की कई विधान सभाओं में भी सदस्यों को पेंशन मिल रही है । हम सभा के बहुत से सदस्य

साधारण घरानों के हैं और यदि उन्हें पेंशन नहीं दी जायेगी तो उन्हें भविष्य में अपने परिवारों का पालन करना कठिन होगा । मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी ।

**श्री मोहन धारिया** (पूना) : इसमें सन्देह नहीं है कि हमारे देश में संसद सदस्यों को अपर्याप्त वेतन और भत्ते दिये जाते हैं । संसदीय कार्य मंत्री ने संयुक्त समिति की निर्विवाद सिफारिशें यहां रखी हैं । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश को अपने संसद सदस्यों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए । सदस्यों की अन्य स्रोतों से आय को ध्यान में रखते हुए ऐसे सदस्य को अधिक वेतन भत्ते दिये जाने चाहिए जिनकी और आय नहीं है । विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में व्यय के आंकड़े 42,60,00 रुपये दिये गये हैं जोकि प्रति सदस्य प्रति मास 500 रूपये बैठते हैं । परन्तु जिस रूप में इसे रखा गया है, देश में वर्तमान वातावरण में उसका स्वागत नहीं होगा । मंत्री महोदय इस पहलू पर विचार करें अन्यथा इस प्रकार का कानून उनके विरुद्ध जा सकता है । लोक सभा, राज्य सभा सहित, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 5 किस्तों की अदायगी नही की जा सकी है मैं समझता हूं कि सदस्यों को पेंशन दी जानी चाहिए ।

**श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ** (कोजीकोड) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि जो कुछ सदस्यों को दिया जा रहा है वह बहुत कम है । यह संसद सदस्यों की न्यायोचित आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करता । हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है और जो सदस्य केवल इसी आय पर निर्भर करते हैं अर्थात् जिनकी आय का कोई और स्रोत नहीं है उनकी स्थिति तो और भी बदतर है । रुपये का मूल्य बहुत गिर गया है । हमें 50 रुपए दैनिक भत्ते के स्थान पर अब 150 रूपया दैनिक भत्ता दिया जाय ।

सदस्यों को प्रतिदिन पांच लिटर पैट्रोल का भी एक कूपन दिया जाय । उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का भी काफी काम करना पड़ता है । ऐसे भत्ते के अभाव में कार्य कर पाना असम्भव है । आज संसद में कहा जाता है कि वस्तुओं के मूल्य गिरे हैं परन्तु संसद भवन में रेलवे कैंटीन में अभी हाल में मूल्य बढ़ाये गये हैं । लंच का मूय 4.20 से बढ़ाकर 6.30 कर दिया गया है ।

तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश में सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है । कम से कम उन सदस्यों को जिन्हों ने दो अवधियां पूरी करली है पेंशन दी जानी चाहिए ।

कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो विधान सभाओं के सदस्यों को तो उपलब्ध हैं संसद सदस्यों को नहीं । केरल के सदस्यों को 150 रुपया पृथक से निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में दिया जाता है । संसद सदस्यों को कम से कम 500 रुपया निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में दिया जाये ।

सदस्यों का निशुल्क टेलीफोन कालों में भी वृद्धि की जाय । ट्रंक काल के लिये भी 100 रुपया अथवा 200 रुपया भत्ता दिया जाये ।

**श्री एस० ए० कादर** (बम्बई मध्य-दक्षिण) : इस विधेयक के बारे में यह गलत फहमी निकाल देनी चाहिए कि जनता इसका विरोध करेगी । हम कोई गलत बात नहीं कर रहें हैं ।

वेतनों के मामले को नियम समिति अंतिम रूप देगी । यह कार्य आपात स्थिति के कारण किया जा रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक पर बहुत पहले विचार हुआ था तथा इस बारे में सभी दलों में मतैक्य था ।

**श्री एस० ए० कादर** : जब कभी भी सदस्यों के वेतनों आदि का मामला उठाया जाता है तभी कोई न कोई विरोधी सदस्य इसका विरोध करता है । इसे हमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ भी नहीं जोड़ना चाहिए । 51 रुपए का दैनिक भत्ता वर्षों पूर्व निर्धारित किवा गया था । इसे 75 रुपये तक बढ़ाया जाय ।

संसद तथा विधान सभाओं के कई सदस्य ऐसे हैं जो सदस्यता के नाते मिलने वाली आय पर पूर्णतः निर्भर हैं और जब संसद तथा विधान सभाओं की अवधि समाप्त हो जाती है तो उनका गुजारा बहुत कठिन हो जाता है । कर्मचारियों को उपदान मिलता है । अन्य लोगों को पेंशन मिलती है पर संसद सदस्यों को जिन्होंने जनता की सेवा की है कुछ नहीं मिलता क्योंकि कानून ने उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की है । इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । जहां तक यात्रा रियायत का सम्बन्ध है संसद सदस्य की पत्नी अथवा पति को भी उसके समान पास दिये जायें । रेल मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : अमरीका, कनाडा और जापान जैसे देशों में सदस्यों को बहुत अधिक सुविधाएं मिलती हैं । हम उनकी अर्थ-व्यवस्था से तुलना नहीं कर सकते । वहां प्रत्येक सदस्य को एक कमरा, दो स्टेनो तथा एक लाइब्रेरी तथा एक कार दी जाती है ।

भविष्य में स्टेनोग्राफरों, शिक्षकों आदि के पद महिलाओं को उपलब्ध किये जायेंगे । इस बारे में हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा । पत्नी को छोड़ कर महिलाओं में हमें माताओं, बहनों एवं पुत्रियों का रूप देखना चाहिए ।

अनेक देशों में मंत्री, अध्यक्ष तथा महा सचिव वकालत कर सकते हैं, क्योंकि वे पूर्णकालिक नहीं होते हैं । उन्हें अल्पकालिक सेवा के लिए पूर्णकालिक सेवा की तुलना में अधिक वेतन मिलता है । मैं नहीं समझता कि यह प्रथा इस देश में सम्भव है ।

वहां जलपान गृह भी आधुनिक ढंग के हैं । सभी विधान मण्डलों के जलपान गृहों को सहायता मिलती है और वहां अत्यधिक सस्ता और पौष्टिक भोजन मिलता है ।

विदेशी शिष्ट मण्डलों को अत्यधिक भत्ता मिलता है । लेकिन भारतीय शिष्ट मंडल को भत्ता बहुत कम मिलता है और उन्हें अपने खान-पान पर उससे बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है । आप को वहां दूसरे विदेशियों के समान ही व्यय करना पड़ता है ।

आपको जो वेतन मिलता है वह कई विधान सभा के विधायकों को मिलने वाले वेतन के बराबर ही मिलता है । ये वेतन लगभग 20 वर्ष पूर्व निर्धारित किये गये थे ।

यहां दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता भी यहां के कई विश्वविद्यालयों से बहुत कम है ।

यहां के शिष्ट मण्डलों के प्रतिनिधियों को विदेशी मुद्रा 50 पौंड से अधिक नहीं मिलती है ।

लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमें जो कुछ मिल रहा है हम उसी से सन्तुष्ट हैं। फिर भी इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा और उन्हें सुसंगत बनाना है। तथा यह कार्य आगामी समिति के गठन होने पर ही किया जाना चाहिए।

**श्री के० रघुरामैया** : जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है कि इस वृद्धि से सदस्यों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी ऐसा सरकार ने नहीं सोचा है। वस्तुतः हमने समिति की सिफारिशों की जांच करने के बाद यह अनुभव किया है कि इस समय कुछ सिफारिशों को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस पर दो मत हैं। एक यह कि इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी। दूसरे सदस्यों को इतना वेतन व भत्ता अवश्य मिलना चाहिए जिससे वे अपने कर्तव्यों का सन्तोषजनक तथा कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। अतः सरकार को बीच का मार्ग ढूंढ़ना पड़ेगा। सरकार को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखना होगा और वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। जब कि हम प्रत्येक व्यक्ति से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपनी मजूरी न बढ़ायें। अतः इस संदर्भ में तथा संसद सदस्यों का अपना कर्त्तव्य का समुचित रूप से पालन करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं और उन्हें स्वीकृत किया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted**

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। श्री रामावतार शास्त्री ने एक संशोधन की सूचना दी है। क्या वह उसे पेश करेंगे ?

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : जी हां। मैं अपना संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं।

Sir, the Joint Committee has recommended some more facilities and on the basis of these recommendations this Bill has been brought forward. A provision has been made in this Bill to pay cash in lieu of all or any facilities proposed to be given to the Members of Parliament. But it is a departure from the recommendations of the Joint Committee because they have recommended that the facilities should be given in kind rather than in cash. If the facilities are given in cash the purpose of this Bill would be defeated. The Committee has never intended to pay cash in lieu of all those facilities. If there is any difficulty in the way of the members to discharge their duty in their constituencies, cash amount can be given for any particular item, but not for all.

**श्री भोगेन्द्र झा** (जयनगर) : श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किया गया संशोधन स्वीकृत किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले सदस्यों के लिए वाहन आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए नकद राशि देने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। आपने एक मुश्त

[श्री भोगेन्द्र झा]

राशि देने का प्रस्ताव किया है । लेकिन बहुधा यह राशि दूसरे कार्यों पर खर्च की जायेगी और उद्देश्य की सिद्धि भी नही होगी यह तो लोगों के साथ धोखा करने वाली बात होगी ।

**श्री के० रघुरामैया** : साधारण कारणवश यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आरम्भ में ही संकेत किया है कि कुछ मामलो में सुविधाएं अन्य रूप में नहीं दी जा सकती अर्थात सभी सदस्यों विधायकों के लिए जीप आदि की व्यवस्था नहीं होगी । इस लिए नकद राशि देना उचित समझा गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : द्वारा श्री रामावतार शास्त्री का संशोधन संख्या–1 मतदान के लिए रखा गया तथा **अस्वीकृत हुआ** ।

**The amendment was put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

**"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 2 was added to the Bill.**

**खण्ड–3**

**श्री राम हेडाऊ** : (रामटेक) : मैं अपने संशोधन संख्या 2 और 4 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

**Shri Ram Hedaoo:** The facilities being given to members of Parliament in their constituencies are important because they have to work there. They have to keen close contact with their constituents. If the facility of free travel in State Transport buses is given to them their job can become easier. You will find how Government jeeps are misused by Government Officials. I think it should not be very difficult for Government to provide members of Parliament with Government jeeps so that they may visit their constituencies in vast rural areas. Therefore a provision should be made in this Bill that a member of Parliament may be provided with a Government jeep. Whenever it is required by him.

When one ceases to be a member of State Legislature or Parliament his condition becomes miserable because there is no provision of pnsion for him.

Therefore a provision should also be made in the Bill to grant pension to a Member of Parliament even if he remains an M. P. for only one term.

**अध्यक्ष महोदय** द्वारा संशोधन संख्या 2 और 4 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

**The amendments were put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय** द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

**The amendment was put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है "कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने" प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**(The motion was adopted.)**

खण्ड 3 विधेयक में जोड दिया गया ।

**Clause 3 was added to the Bill.**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है "कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।**

**Clause 1, the enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.**

**श्री के० रघुरामैया** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये" ।

**Shri M. C. Daga** (Pali): The committee should seriously consiler the suggestions put forward by the Members in regard to this Bill. The members have to keep close contact with the people of their constituencies. It is a guestion of his dignity and in order to enable him to serve his constituency more efficiently and work for the betterment of the people of his constituency he should be given every possible facility to fulfil his responsibility towards his constituents as are being given to the high officers serving in the Government.

**Dr. Kailas** (Bombay-South): This is not a comprehensive Bill and even then the hon. Minister has stated about the adverse financial position. Here it is not a question of funds but that of the dignity of a member of Parliament. Therefore the question of funds should not be raised regarding facilities to be given to members of Parliament. Members of Parliament should be given facilities so that they may be able to think that they represent not only their constituencies but the whole of the country, and make their contribution towards the people and the development of the country with greater efficiency.

A member when he comes to Delhi to atend a session has to give up his profession and he has to depend only on his salary and allowances as a member of Parliament.

We do not required cash money. We required facilities in kind.

[Dr. Kailas]

The member who remains in the house for one term should get pension at the rate of 33 per cent, for two terms 50 per cent and for 3 terms 75 per cent.

The wife of an M.P. should get a 1st class railway pass for full terms of five years just like the M.P.

**श्री वसन्त साठे** (अकोला) : मंत्री महोदय को इस विधेयक के लाने पर धन्यवाद । संसद सदस्यों को बहुत काम करना होता है । उन्हें दी जाने वाली अतिरिक्त राशि के लिए के पैसे का रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि उन्हें जितना रुपया दिया जाएगा उससे दस गुना अधिक तस्करी को रोक कर ही बचाया जा सकता है ।

अन्य देशों में संसद सदस्यों की सहायता के लिए स्नातकोत्तर छात्रों की सेवाएं ली जाती हैं । कुछ जेब खर्च देकर उनकी सेवाएं यहां भी ली जा सकती हैं । यहां भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए । इससे सदस्य अपना कार्य अधिक कुशलता और आसानी से कर सकते हैं ।

आज एक बैंक के चपरासी को भी 800 रुपये मिलते हैं । क्या हम लोग उनसे भी गये बीते हैं । अतः इस विधेयक के सम्बन्ध में धनाभाव का बहाना बड़ा ही लचर और आधारहीन है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको अब जो मिल रहा है उसी पर सन्तोष करें और इन्तजार करें उस उपयुक्त समय का जब कुछ और पा सकें । अब मैं विधेयक को मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**The motion was adopted.**

---

## सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक
## CUSTOMS TARIFF BILL

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए"

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आयात सीमा शुल्क टैरिफ की नामावली को युक्तिसंगत तथा आधुनिक बनाना है । वर्तमान टैरिफ अधिनियम का आयात टैरिफ कार्यक्रम वर्तमान स्थिति में पुराना पड़ गया है ।

टैरिफ संशोधन समिति ने सिफारिश की थी कि आयात टैरिफ कार्यक्रम का संशोधन किया जाये और इसे ब्रुसेल्स टैरिफ नामावली के अनुसार भारत की व्यापारिक प्रणाली का ध्यान में रखते हुए बनाया जाये । इस समिति ने वर्तमान टैरिफ अधिनियम तथा निर्यात टैरिफ कार्यक्रम के प्रावधानों के बारे में भी सुझाव दिये थे और सिफारिश की थी कि भारतीय टैरिफ (संशोधन)

अधिनियम 1949 को एक पृथक कानून के रूप में न रखा जाये और इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को, यदि आवश्यक हो तो, संशोधित टैरिफ अधिनियम में ही शामिल किया जाये ।

सरकार ने टैरिफ संशोधन समिति की सिफारिशो को स्वीकार कर लिया था । 24 दिसम्बर, 1969 को इस हेतु लोक सभा में सीमाशुल्क टैरिफ विधेयक 1969 पेश किया गया जिसे प्रवर समिति को भेजा गया । लेकिन प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश होने से पहले चौथी लोक सभा भंग हो गयी । अत : इस विधेयक को लाया जा रहा है ।

इस विधेयक की मुख्य बातें यह हैं कि आयात टैरिफ कार्यक्रम में वस्तुओं की व्याख्या ब्रुसेल्ज टैरिफ नामावली के आधार पर थी लेकिन नामावली का प्रत्येक शीर्षक भारत के आयात व्यापार के ही अनुसार था । इन उप-शीर्षकों का मुख्य उद्देश्य आयात शुल्क में भिन्न दरों के लिये व्यवस्था करना, आयात व्यापार के महत्व की प्रत्येक वस्तु का उल्लेख करना अथवा संरक्षणात्मक शुल्क की वस्तुओं को पृथक पृथक दिखाना है । आयात टैरिफ कार्यक्रम में शुल्क दरें निर्धारित करते समय वर्तमान दर ढांचे को कायम रखने का प्रयास किया गया है ।

विधेयक के खण्ड 1(3) में यह बात स्पष्ट है कि इसे तुरन्त लागू नहीं किया जायेगा बल्कि उस तिथि से किया जायेगा जिसे भारत सरकार अधिसूचना द्वारा निश्चित करे । अतः वर्तमान टैरिफ इस विधेयक के अधिनियम बनाने के बाद भी जारी रहेगा । अतः विधेयक के पास होने के छः महीने बाद नया आयात टैरिफ लागू किये जाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि इस अवधि के दौरान इस हेतु तैयारी की जा सके ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सीमा-शुल्क सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए"।

**Shri Ishaque Sambhali** (Amroha): This Bill is quite good but it does not specify what concession has been given to those commodities which are required for medical treatment such as X-ray films and such other things?

Importers in India have earned huge profits in recent years and their profit has to be slashed down. With this view it is not wrong to raise the tariff rates. But there is evasion of customs duty on a very large scale in the country and it will be better to make provision in this Bill to plug to the loopholes through which customs duty is being evaded.

There is good deal of scope to check corruption in the Customs Department. There can be no objection to enhancing the tariff rates but the revenue must be fully realised. It is possible only when corruption is rooted out from the Customs Department. To achieve that end, a complete overhauling of the Customs Department should be undertaken or a special vigilance department be created to keep a close watch on the working of this Department. This Bill will serve no purpose until steps are taken to root out corruption from this Department.

[Shri Ishaque Sambhali]

I will certainly say one thing that the tariff rates on purely luxury goods should be increased but the tariff on the commodities or equipments required for medical purposes and hospitals should not only be reduced but it should be completely exempted. It will help the common man.

A study team visited several countries of the world to study machinery for realisation of customs duties there. The team made certain recommendations. But they are still lying in cold storage and no action has been taken to implement them. Minister should pay attention towards that.

**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**

**Mr. Deputy Speaker in the Chair.**

I am looking forward to the day when the corrupt big custom officials who are rolling in wealth will be trapped and held under DIR and MISA. With these words I support the Bill.

**श्री अरविन्द बाल पजनौर** (पांडेचेरी) : मैं इस विधान का समर्थन करता हूं । मंत्री महोदय इसे सही समय पर सदन के समक्ष लाए हैं इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है लेकिन लगता है कि कुछ सदस्यों ने इसे अच्छी तरह पढ़ा नहीं है और इसीलिये वह इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं । यह विधेयक स्वदेशी उद्योगों तथा स्वदेशी उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है । इसके अतिरिक्त इस विधेयक से तस्करों की गतिविधियों पर रोक लगाने तथा काले धन के प्रसार को कम करने में सहायता मिलेगी । आपातकालीन स्थिति में इस विधेयक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । विधेयक द्वारा भारी प्रशुल्क लगाया गया है ताकि देश में कुछ वस्तुओं का आयात न किया जाए और देश में इन वस्तुओं के उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन मिले । यदि सरकार तस्करों की गतिविधियों को रोक सके तो तस्करी की वस्तुए बाजार में नही बिकेंगी । हम लोग स्वय जनता को इन वस्तुओं को खरीदने का प्रलोभन देते हैं । कुछ मंत्रियों या बड़े अधिकारियों के दफ्तरों में आप जाएं तो अनेक विदेशी वस्तुएं ,देखने को मिलेंगी । इससे वहां जाने वाले लोगों के मन में भी वैसी वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रलोभन होता है । अत: मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इन विदेशी वस्तुओं के बारे में पूछ-ताछ करें । मैं यह नहीं कह रहा कि इनको जब्त किया जाए । यदि वह व्यक्ति जिनके पास विदेशी वस्तुए हैं उनका लेखा-जोखा देने में असमर्थ है तो उन वस्तुओं पर भी भारी प्रशुल्क लगाया जाए ।

कुछ वस्तुओं के मामले में उचित रियायत नहीं दी जा रही । हमारे देश में उन वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा नहीं है जिनको तैयार करने में दक्षता की आवश्यकता होती है । प्रतिस्पर्धा के अभाव में इन वस्तुओं के निर्माता अपने एकाधिकार का अनुचित लाभ उठाते हैं । उनकी किस्म में सुधार करने के प्रति कोई रुचि नहीं लेते और ऐसी अवस्था में अगर हम विदेशी वस्तुओं को देश की मंडी में आने की अनुमति नहीं देते तो इससे उन लोगों को अनावश्यक संरक्षण मिलेगा । इसलिए थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है ।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं आशा करता हूं कि अगले सत्र में छोटे मोटे मामलों पर पूर्ववत विधेयक लाने के स्थान पर ऐसे ही विधेयक लाए जाएंगे । मंत्री महोदय का कहना है कि यह विधेयक एक नियत तिथि से लागू किया जाएगा । आपने

कुछ बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है पर उनकी सम्पत्ति के बारे में क्या किया गया है। मेरे राज्य में और उसके पडौसी राज्यों में उनकी सम्पत्ति के बारे में कुछ नहीं किया गया।

किझाकरई और अडयार पट्टनम में कुछ लोगों ने 50 लाख, 70 लाख या एक करोड़ रुपया तक लगा कर मकान बनाए लेकिन वह उनमें रहते नहीं हैं उन्होंने केवल उनकी रखवाली के लिये एक चौकीदार रखा हुआ है। इस आपातकालीन स्थिति में सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को कम किया जाएगा लेकिन इन लोगों का एक काला बैंक है आप चाहें जो उपाय करें वह किसी न किसी ढंग से पैसा इस देश में ले आएगे। कानून के अनुसार विदेशों से धन केवल रिजर्व बैंक द्वारा ही आ सकता है लेकिन इन काले बैंक वालों की एक पृथक प्रणाली है। यह धन को किसी एजेंसी द्वारा भेजते हैं और बिना किसी बाधा के अपना काम चलाते हैं। इसका कारण यह है कि सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारी वर्तमान कानून को उचित ढंग से लागू नहीं कर रहे। जब भी लोग विदेशों से आते हैं तो वह अपने साथ कुछ विदेशी वस्तुएं लाते हैं लेकिन सीमा-शुल्क अधिकारी केवल उन्हीं गरीब लोगों को जो इक्का दुक्का चीज लाते है तग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई दो पैन लाया है तो उससे वह एक मांगते हैं और अगर कोई दो घडियां लाया है तो वह कहते हैं कि एक हमको दे दो। लेकिन वास्तविक तस्करों को वह कुछ नहीं कहते क्योंकि वह सीमा-शुल्क अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। आप सीमा-शुल्क अधिकारियों के घर में जाए तो आप को वहां अनेक विदेशी वस्तुएं मिलेंगी। संबधित अधिकारी इस बारे में आवश्यक नियंत्रण नहीं रखते इन लोगों पर निगरानी रखनी चाहिए और केवल ईमानदार लोगों को सीमा-शुल्क विभाग में रखना चाहिए। साथ ही इन लोगों को एक स्थान पर एक वर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिए। सारा दोष हमारे प्रशासन का है। हम चाहें जो विधान बना लें जब तक वह उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किए जाते उनसे कुछ लाभ नहीं होगा। यह क्रियान्वयन हमारे द्वारा इन 15–20 वर्षो में प्राप्त किए गए अनुभव पर आधारित होना चाहिए।

आजादी के बाद अपने उद्यमियों को देश में वस्तुएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने, अर्थव्यवस्था को संतुलित करने तथा रिजर्व बैंक को उचित रूप में रखने के लिए हमने विदेशी वस्तुओं को विनियमित करना शुरू किया और इस प्रकार के कई कानून पेश किए। जब हम विधान पर इस दृष्टि से विचार करें तो हमें अपने पिछले 15 वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखना होगा। यदि ऐसे विधान में संयुक्त समिति द्वारा एक पैराग्राफ में यह बताया जाए कि यह हमारा पिछला अनुभव है और ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए उस विधान को समझने में आसानी होगी। अभी हमें ही इसे समझने में कठिनाई हो रही है तो आम जनता अथवा अधिकारी इसे किस प्रकार समझ सकते हैं। आपको संक्षेप में बताना चाहिये कि पहला विधेयक दूसरे विधेयक से किन बातों में भिन्न है तभी हम इसे अच्छी तरह समझ सकेंगे और अपने विचार सही रूप में प्रकट कर पाएंगे।

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी** : मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कि सीमा-शुल्क टैरिफ विधेयक पर अपने विचार प्रकट किए हैं। यह विधेयक न तो सीमा-शुल्क प्रशासन के

[श्री प्रणब कुमार मुखर्जी]

लिए और न ही देश में हो रही तस्करी तथा अन्य प्रकार के आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए लाया गया है। यह विधेयक ब्रुसेल्ज नामावली को वर्तमान टैरिफ की वस्तुओं पर वर्तमान दरों को कायम रखते हुए लागू करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। हम तो केवल परम्परागत नामावली का परिवर्तित करके इसे ब्रुसेल्ज टैरिफ नामावल के अनुसार कर रहे हैं जोकि आजकल अंतर्राष्ट्रीय मानक है।

मैं माननीय सदस्य श्री पजनौर की इस बात से हसमत हूं कि यह एक अत्यंत तकनीकी विधेयक है इसीलिए जब 1969 में इस विधेयक को पुरस्थापित किया गया और इसे प्रवर समिति को भेजा गया था, लेकिन लोक सभा के विघटित हो जाने के काण प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन में नहीं रखा जा सका। वर्तमान लोक सभा में इसे पुनः पुरस्थापित किया गया और इसे फिर प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति ने विभिन्न शहरों का दौरा किया और लोगों के मौखिक बयान लिए तथा व्यापार और उद्योग द्वारा दिए गए विभिन्न ज्ञापनों की जांच भी की है। मेरा यह भी निवेदन है कि परम्परागत नामावली को ब्रुसेल्ज टैरिफ नामावली में परिवर्तन करने से व्यापार तथा उद्योग के लिए असुविधा पैदा होगी अतः प्रश्न केवल लोगों को इन बातों को समझाने योग्य बनाने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने का ही नहीं अपितु नई परिस्थितियों में व्यापार तथा उद्योग को भी नई नामावली से अवगत करने का भी है।

इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने छः महीने का समय देने की व्यवस्था की है। तस्करी विरोधी तथा अन्य कार्यवाहियों के बारे में भी चर्चा की गई है। तस्करों के विरुद्ध क्या उपाय किए जा रहे हैं इसके बारे में मैं सदस्यों को विस्तार से बता चुका हूं। मैं उनको पुनरावृति नहीं करना चाहता विशेषकर जबकि वह इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। श्री इसहाक संभली ने नौकाओं के बारे में विशेष रूप से पूछा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि समुद्र तट पर निगरानी रखने के लिए रखी गई 20 नौकाओं में से 19 नौकाएं काम कर रही हैं। यह हो सकता है कि ये नौकाएं काम करते करते कभी खराब भी हो सकती हैं, कभी उन्हें छोटी मोटी मरम्मत के लिए वर्कशाप भेजना पड़ता है। अतः यह कहना ठीक नहीं कि नौकाएं शुरू से काम नहीं कर रही।

हमने विभिन्न श्रेणियों के लगभग 500 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि बहुत कम लोग गिरफ्तार किए गए हैं यह सच नहीं है। नए अधिनियम के अंतर्गत 1300 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिये गए हैं और यह सिलसिला जारी है। यह कहना सही नहीं है कि केवल आपातकालीन स्थिति में ही यह गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पिछले सप्ताह मैंने सितम्बर 1974 से जुलाई 1975 तक की अवधि में मारे गए छापों तथा गिरफ्तार किए गए तस्करों और फरार हूए तस्करों तथा उनकी सम्पति को कुर्क करने के बारे में जारी किए गए नोटिसों का ब्यौरा दिया था। इन आंकड़ो में कुछ अंतर हो सकता है लेकिन इसका अर्थ यह नही है कि हमारे प्रयासों में कुछ कमी आई है।

तस्कर विरोधी अभियान जारी है। इस के लिए सदन ने हमें भारत रक्षा नियम आंसुका आदि द्वारा अधिकार प्रदान किए हैं और उनका उपयोग यथोचित समय पर किया जा रहा है।

जहां तक सुरक्षणात्मक टैरिफ का संबंध है हम ने जहां तक संभव हो सका वर्तमान टैरिफ दर को कायम रखा है। लेकिन कुछ मामलों में वित्त विधेयक अथवा टैरिफ संशोधन के कारण हम इस के अनुसार न चल सके और उन्हें लागू करने के लिए हमें विधेयक में कुछ परिवर्तन करने पड़े।

मैं आशा करता हूं सदन एक मत से इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करेगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सीमा-शुल्क सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 2 से 13, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

**खण्ड 2 से 13 प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए**

**Clauses 2 to 3, the First Schedule, the Second Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill**

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा-शुल्क विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाए ।"

**Shri Ishaque Sambhali** (Amroha): It is a matter of gratification that the hon. Minister has assured the House that he will keep in mind the suggestions given to him. We do want that the Government should earn revenue on imported goods.

I wish the hon. Minister were to look into the working of customs department. The customs authority did not spare from levy of custom duty even the tanks which were seized and brought by our Jawans as war bounty during the Indo-Pakistan war. The Defence Ministry had to fight hard to get such tanks exempted from customs duty. I therefore want that the department should be toned up and rationalised.

**श्री डी० डी० देसाई** (कैरा) : संयुक्त समिति ने आयात तथा निर्यात करने वाले देशों की सुविधा के लिये टैरिफ नामावली पर विचार किया था । लेकिन सीमा-शुल्क अधिकारी संभवत: नामावली की सही अथवा तुरंत परिभाषा न कर सके हों । हमें माल ले जाने के लिये समय अवधि निश्चित करनी चाहिये । कोई भी वस्तु हो, उसे 4 से 6 दिन तक से अधिक नहीं रोका जाना चाहिये । यदि जांच का उद्देश्य नामावली की स्पष्ट व्याख्या ही हो तो उस मामले में शुल्क दर विलम्ब का कारण नहीं होना चाहिये ।

[श्री डी० डी० देसाई]

नये उत्पादों की नित्यप्रति वृद्धि से लगातार श्रेणियों को जोड़ने अथवा परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी और शुल्क निश्चित करने होंगे। चूंकि उत्पाद का उपयोग शुल्कदर निर्धारित करने के लिये निर्णयक होगा। अतः इसके "उपयोग" को ही शुल्क दर निर्धारण के लिये आधार माना जाये। अतः प्रशिक्षण तकनिकी पहलू तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये बल्कि सीमा-शुल्क टैरिफ, अधिनियम, 1975 तथा इसके कार्यक्रम तक, ही रहना चाहिये और सम्बन्धित व्यक्ति के अदर शीघ्र काम करने की भावना पैदा की जानी चाहिये ताकि देश को आयात तथा निर्यात व्यापार को क्षति न पहुचे।

विभाग को माल ले जाने सम्बन्धी समय अवधि निश्चित करने के बारे में निदेश जारी किये जाने चाहियें।

**श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य** (गिरिडीह): मैं अभरक उद्योग से सम्बन्ध रखता हूं। अवमूल्यन अवधि के बाद, अभरक के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। इसके फल-स्वरूप नेपाल को 5 करोड़ रुपये की लागत के अभरक की तस्करी हुई। अतः अभरक के विभिन्न किस्मों पर शुल्क में 20 प्रतिशत की कमी करनी पडी। अब अभरक पर उत्पाद शुल्क भी लागू है।

यदि अभरक पर उत्पाद शुल्क लगाया जाये तो इसका अर्थ कर को दो गुणा करना है। छोटे व्यापारियों के लिये इस से कठिनाईयां पैदा हो जायेंगी। जब हम अपनी निर्यात तथा आयात प्रक्रियाओं को सरल बना रहे हैं तो इस श्रम प्रधान उद्योग पर इस प्रकार के दुगने कर लगने के फलस्वरूप अधिक से अधिक कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

अभरक उद्योग को व्यवहार्य तथा समृद्ध बनाने के लिए अभरक के निर्यात शुल्क पर हमें कुछ राहत देनी चाहिये। इस दुगने कर की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा इसे यथाशीघ्र हटा दिया जाना चाहिये।

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी**: माननीय सदस्यों ने कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये हैं और प्रशासनिक मशीनरी को सुधारने के लिये कहा गया है। सुधार की काफी गुंजायश है और इस दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

जब कभी भी आवश्यक होगा प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग में की जायेगी ताकि कार्य तीव्रगति से हो और कोई भी सामग्री अनुचित ढंग से रुके नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

> "कि सीमा-शुल्क सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में पारित किया जाये"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted**

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

## MOTION RE: ANNUAL REPORT OF THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1972-73

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन जो 9 दिसम्बर, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था, पर विचार करती है।"

सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न सुधार करने का प्रयत्न किया था लेकिन कुछ लोगों के गुटों ने विश्वविद्यालयों में गडबडी फैलाने का निर्णय किया। शिक्षा के लिये आवश्यक शांतिमय वातावरण बनाने के बजाय उन्होंने हिंसा, डर और दबाव का वातावरण बनाया। यह बड़े ही संतोष की बात है कि आपात स्थिति के कारण उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने जो डर था वह समाप्त हो गया है और अब विश्वविद्यालयों में सामान्य रूप में शांति से काम हो रहा है।

विश्वविद्यालय शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या छात्रों और कालिजों की बढ़ती हुई संख्या है। यह देश के संसाधनों की सीमा से बाहर है और इससे बेरोजगारी ही नहीं बढ़ रही है बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ रही है जिन्हें कोई काम नहीं दिया जा सकता। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में पिछले वर्ष की तुलना में 14.5 प्रतिशत छात्रों की वृद्धि विश्वविद्यालयों में हुई थी। कोई भी देश इतनी वृद्धि सहन नहीं कर सकता परिणामस्वरूप बहुत से कदम उठाये गये हैं जिससे यह वृद्धि 1973–74 में घटकर 3 प्रतिशत रह गयी है।

इसके अतिरिक्त पत्राचार पाठ्यक्रमों और स्नातक स्तर पर प्राईवेट छात्रों की संख्या 15 प्रतिशत बढ़ गयी है जिसका अर्थ यह है कि नौकरी करने वाले व्यक्ति जो उच्च शिक्षा के लिए कालेजों आदि का व्यय नहीं उठा सकते उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

यदि किसी कालेज में 400 से कम छात्र हों तो वह कालिज शैक्षिक तथा वित्तीय दृष्टि से सुचारु ढंग से काम नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश इस प्रकार अक्षम कालेज अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन कालेजों में शिक्षा और शिक्षकों का स्तर बहुत ही नीचा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस स्थिति पर विचार किया है और अब उसने कालेजों में विकास के लिये एक सुविचारित नीति अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे कालेज अनियंत्रित ढंग से न बढ़ते चले जायें तथा जहां कालेजों की संख्या बहुत अधिक है वहां सहकारिता के आधार पर शिक्षा दी जाए ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और इसके साथ ही पाठ्यक्रमों का, विशेषकर गांवों में पुनर्निर्माण किया जायेगा।

कालिज स्तर पर विज्ञान के विकास पर आयोग ने बड़ा जोर दिया है। यह कार्यक्रम चालू किया जा चुका है तथा इससे 111 कालेजों को लाभ हुआ है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों के सहयोग से वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत ही परिवर्तन कर पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण किया गया है तथा उसका स्तर बढ़ाया गया है। यह आशा की जाती है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा छात्रों की आवश्यकताओं की बड़ी सीमा तक पूर्ति होगी।

[प्रो० एस० नूरुल हसन]

परीक्षाओं में सुधार भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । इसमें आंतरिक निर्धारण, वर्गीकरण (ग्रेडिंग), उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की परिपाटी को समाप्त करना तथा प्रश्न बैंक की पद्धति को लागू करना शामिल है । एक योजना स्वायत्तता प्राप्त कालेजों से भी सम्बन्धित है । कुछ कालेजों को नए प्रयोग करने की स्वायत्तता प्रदान की जाएगी । वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नए पाठ्यक्रमों पर प्रयोग कर सकेंगे और परीक्षा के स्तर में परिवर्तन और सुधार कर सकेंगे ।

मानव विज्ञान और समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम के विकास के लिए कई विशेषज्ञ सूचियां बनाई गई तथा एक विज्ञान अनुसंधान परिषद् और वैज्ञानिक विषयों के ग्रुपों पर विचार करने के लिए वैज्ञानिकों के दल स्थापित किये गये हैं । आयोग ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत अनुसंधान सम्बन्धी समस्याओं पर बड़ा जोर दिया है । आयोग की सिफारिशों पर सरकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के वेतनमान में सुधार करना है जिससे अत्यधिक बौद्धिक उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति विश्वविद्यालयों में आ सकें । इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रारम्भिक भरती के लिए उच्च योग्यताएं निश्चित की हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापकों के अपनी अनुसंधान के लिये योग्यता बढ़ाने, अपनी जानकारी का स्तर बढ़ाने और सम्मेलनों, गोष्ठियों, ग्रीष्मकालीन स्कूलों आदि में भाग लेने के अवसर प्रदान करने के लिए अनेकों प्रस्ताव रखे हैं । छात्रों को सुविधायें प्रदान करने के लिये अत्यधिक प्राथमिकता देकर अनेकों कार्यक्रम चालू किए गये हैं । इनमें सबसे पहला कार्यक्रम छात्रावासों को सुविधायें देना है । आयोग छात्रावासों की निर्माण लागत को कम करने तथा छात्रावासों के निर्माण के लिये कालेजों और विश्वविद्यालयों को पर्याप्त सहायता देने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है । वस्तुतः गत कुछ वर्षों के दौरान लगभग 28000 छात्रों को छात्रावास सुविधायें प्रदान की गई हैं, जो कि सीमित साधनों को देखते हुए बहुत बड़ी उपलब्धि है । आयोग ने पुस्तक बैंक स्थापित करने के प्रधान मंत्री के आह्वान को कार्यरूप देने के लिये अनेक कदम उठाए हैं । सहायता देने के लिए 2000 से अधिक कालेजों की सूची बनाई जा चुकी है ।

समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के युवकों की सुविधा के लिये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है । अनेक स्थानों पर गैर आवासी छात्र केन्द्र खोले गये हैं । अन्य कालेजों में भी छात्र सहायता निधियों की स्थापना की गई है, जिससे गरीब छात्रों को मदद दी जा सके । स्वास्थ्य केन्द्रों की ओर भी आयोग प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देगा ।

अन्य कदमों के साथ आयोग ने अंशकालिक व्यवसायिक पाठ्यक्रम का कार्यक्रम भी चालू किया है, ताकि छात्र एक अच्छा व्यवसाय सीखने के लिये अपने समय का सदुपयोग कर सकें ।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य विश्वविद्यालयों के कार्यों में सुधार करने के लिये अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे ।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय हमें देश में उच्च शिक्षा पर विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता है । मैं माननीय मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1972–73 में सभा में प्रस्तुत किये गये इस प्रतिवेदन पर देश के प्रमुख समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया यही थी कि हमारी शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, को एक गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

हमारी शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी बताया है, देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करके, जो नये वातावरण का निर्माण करे और सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रभावकारी सिद्ध हो, सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिये। हम अपनी शिक्षा प्रणाली पर देश में अन्य समस्याओं से अलग हो कर विचार नहीं कर सकते, अपितु हमें इस पर देश की वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार करना होगा। मैं मंत्री महोदय के इस कथन से सहमत हूं कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपने राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये न केवल शैक्षिक संस्थाओं अपितु छात्रों को भी अपनी कठपुतली बनाये हुए थीं। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली पर न केवल देश की राजनीतिक परिस्थितियों अपितु आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार करना होगा, क्योंकि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति युवा पीढ़ी की आर्थिक समस्याओं को हल करने में विफल रही है और इस से हमारे छात्रों में इस शिक्षा के विरुद्ध विद्रोह की भावना भड़क उठी है। उन में अनुशासनहीनता आ गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा प्रसार की ऐसी योजना बनाने की अपनी जिम्मेदारी में असफल रहा है जो समाज के सभी वर्गों की इस प्रकार सहायता करे, जिस से सामाजिक उन्नति हो सके। देश भर में कालेजों में दाखिले का अनुपात 5.5 प्रति हजार है, जब कि दिल्ली में 13.6 प्रति हजार और उड़ीसा में 2.2 प्रति हजार है। इस से ज्ञात होता है कि शिक्षा सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करने में कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ न्याय करना चाहिये।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि विषमता को दूर नहीं किया जा सकता है। यह एक गम्भीर असफलता है। हम हर अवसर पर इस बात की दुहाई देते हैं कि असली भारत ग्रामों में रहता है। परन्तु यह खेद की बात है कि हम ग्रामों में शिक्षा का प्रसार नहीं कर पाये हैं। उच्च शिक्षा पर विचार व्यक्त करते समय यह कहना असंगत नहीं होगा कि देश के आयोजकों ने शिक्षा की अत्यधिक उपेक्षा की है। इस समय देश में अशिक्षितों की भारी संख्या है। देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या अभी तक अशिक्षित है। प्राथमिक शिक्षा के प्रति अत्यधिक उदासीनता बरती गई है।

हमारी शिक्षा तभी लाभदायक सिद्ध हो सकती है जब उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाये। इस समय स्थिति यह है कि हम डाक्टरों, इंजीनियरों और शिक्षकों को दूसरे देशों में भेज रहे हैं, मानो कि हम ने अपनी समस्यायें हल कर ली हों। यह हमारी आयोजना का दोष है। हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, परन्तु उन का सदुपयोग नहीं कर पाते। अतः हमारी पूरी योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिये कि शिक्षा संस्थाओं से निकलने वाले प्रत्येक छात्र का उपयोग किया जा सके। भूगर्भ शास्त्रियों को प्रशिक्षण देने का क्या लाभ है यदि हम उन का उपयोग न कर सकें? इसी प्रकार डाक्टरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें बेरोजगार रखने की कोई तुक नहीं है।

हम आपात की स्थिति से गुजर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में तेजी आ रही है। अतः परीक्षा सुधारों को भी तेजी से लागू किया जाना चाहिये और परीक्षा सुधारों को इस ढंग से लागू किया जाना चाहिये कि शिक्षा संस्थाओं में छुरेबाजी तथा ऐसी ही अन्य अवांछनीय घटनायें न हों।

हमें खुशी है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में छात्रों की समस्याओं पर उचित ध्यान दिया गया है। परन्तु यह कार्यक्रम कहां तक क्रियान्वित किया जायेगा? क्या इस की क्रियान्विति में छात्रों के सहयोग

[श्री सी० के० चन्द्रप्पन]

की आवश्यकता नहीं होगी ? अतः इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए छात्रों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए ।

हमें सी० आई० ए० की गतिविधियों से सतर्क रहना चाहिये । अन्य देशों के समान ही भारत में भी साम्राज्यवादी अमरीका की सी० आई० ए० जैसी संस्थाये शिक्षा के क्षेत्र को अपने कार्य के लिये अधिक प्रभावकारी साधन मानती हैं । शिक्षा के क्षेत्र से उस के प्रभाव को समाप्त करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें ।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, शिक्षा का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है । देश में शिक्षा का का उपयोग समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के संदेश को जनता में फैलाने के लिये किया जाना चाहिये ।

साम्प्रदायिक तथा जातिवादी तत्वों का उन्मूलन किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्दमार्ग तथा ऐसे ही अन्य संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, परन्तु हमारी शिक्षा संस्थाओं में उन की जड़ें अभी भी जमी हुई हैं । उन के प्रभाव को शिक्षा क्षेत्र से हटाने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें ।

**Shri Sudhakar Pandey** (Chandauli): In the context of the present day situation in the country, the University Grants Commission's performance has been laudable and it deserves our congratulations.

The members of the University Grants Commission are great educationalists and they are doing appreciable work. But there is no full time Chairman of the Commission for the last many months. Shri Satish Chander is working as a temporary Chairman. He is doing good work. I want to know the time by which he will be made permanent Chairman and in case somebody else is to be appointed as permanent Chairman, the time by which he would be appointed. The appointment of the Chairman should be made early, because no organisation can function properly without its head.

The present situation is most favourable for the students who are serious about their studies. However, the anti-social elements are still active in the Universities. Such elements should be uprooted.

The Universities are functioning in their own way in the name of autonomy.

**श्री एच० के० एल० भगत पीठासीन हुए ।**

SHRI H. K. L. BHAGAT *in the Chair.*

The University Grants Commission should have control over the functioning of the Universities, but some elements which are active in the Universities, are polluting their atmosphere.

There are several Central Universities in the country. There should be proper co-ordination in the working of these universities. There should be a separate wing in the University Grant Commission for these universities.

We have not succeeded in introducing an educational system that may be in tune with the conditions obtaining in our country. There is all the greater need to set up more and more open universities in the country. We should also have workers' universities in the country. In big industrial concerns, a Mistry remains a Mistry all his life, though he may have more practical knowledge than an engineer. If that Mistry is provided with facilities to prosecute his studies after his duty hours, he can prove to be a very useful engineer for the country. His mental horizon can be widened and this way can get higher education.

Indian languages should be adopted as the media of instructions at the University level. These days, all the emphasis is being laid on English only. This should not be done. English should be treated like any other foreign language.

Higher education should be made the central subject. Then only we can bring about the needed improvement in our higher education.

**Shri Shankar Dayal Singh** (Chatra): In our country, we have the same old educational system that had been introduced during British times. In the past, many educational commission had been appointed and they had made useful recommendations. What action has been taken to implement those recommendations? Although many attempts were made to bring about necessary changes in our educational system, yet, we have not been able to achieve our objective.

In some of our universities, there is gross mismanagement. It is said that there is great unrest in those universities, which get more funds from the University Grants Commission. For example, there is great unrest in Patna Univerthough it gets more funds whereas in Ranchi University, there is law and order in spite it is getting less funds.

Central Universities get lion's share from the funds of the University Grants Commission, whereas very limited funds have been made available to other Universities. The University Grants Commission should allocate funds to all the Universities on equal basis.

The teachers selected by the University Grants Commission should be imparted new training on the pattern of the training given to the I.A.S. and I.P.S. officers. Each University should be given grant in proportion to the number of students studying there and the population of the area served by it.

Universities should be reorganised on the basis of various subjects. For example, there should be separate universities for teaching agriculture, economics, arts, political science, medical science, etc.

Government should implement the recommendations made by the Central Education Advisory Board, which are very useful. Arrangements should be made in every college for teaching agriculture, commerce and character-building.

Education should be made the central subject. The number of Central Universities should be increased so that there may be at least one Central University in each State.

[Shri Shankar Dayal Singh]

There should be uniform syllabuses. Text-books should be made available to the students at cheap rates, as per the announcement made by the Prime Minister.

The services of the University teachers should be transferable from one University to the other. An Expert Committee should be set up to make education more practical.

There is no female member in the University Grants Commission. The one-third of the members of the Commission should be ladies.

At present, we need not only technical education but practical education as well. The students should be imparted such an education as may prove useful to them in their later life.

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** (हमीरपुर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया है कि आयोग के पास निधियों की कमी के कारण प्रतिभावान व्यक्तियों की प्रतिभा के अनुकूल उच्च शिक्षा प्रणाली के विकास तथा देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने की संभावनाओं में बाधा पड़ी है । सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए कि योजना और गैर-योजना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिए गए धन में कैसे पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है ताकि इससे सुपरिणाम निकल सकें ।

पी० एच० डी० करने के लिए लोग अत्यधिक लालायित हो रहे हैं । पी० एच० डी० और विशेष योग्यताओं के नाम में कुछ विश्वविद्यालयों में अनेक अयोग्य व्यक्तियों की भीड़भाड़ हो गई है लेकिन वहां क्षेत्रीय लोगों को स्थान नहीं मिलता है । इससे वहां के स्थानीय लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है । विशिष्ट क्षेत्र के संस्कृति प्रधान लोगों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

आपात स्थिति की उद्घोषणा तथा 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद समूचे देश के विश्वविद्यालय परिसरों में शान्ति का वातावरण पैदा हो गया है । लेकिन शिक्षकों या छात्रों को शरारत करने के लिए भड़काने वाले कुछ लोग कहीं पर छुप गये हैं । जब तक सरकार उन सभी तत्वों को जिन्होंने इस सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को ठप्प करने हेतु जय प्रकाश नारायण को आमंत्रित किया, जेल में नहीं डालेगी तक तब देश सुरक्षित नहीं है । मंत्री महोदय को इस मामले पर गंभीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए । उन्हें विशेषतया यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संदिग्ध गति-विधियों वाले व्यक्तियों को उनके वर्तमान पदों पर नहीं रखा जायेगा ।

शिक्षकों तथा कुलपतियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा सेवा निवृति के मामले में समानता होनी चाहिए । 70 वर्ष की आयु से ऊपर वाले व्यक्तियों को कुलपति के पदों पर बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है जबकि अधिकांश राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय सरकार ने कुलपतियों को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत करने का निर्णय किया है ।

प्रधान मंत्री ने पुस्तक-कोषों का उल्लेख किया है । लेकिन ये पुस्तक-कोष तभी सहायक सिद्ध हो सकते हैं यदि क्षेत्रीय भाषाओं में अच्छी पाठ्य पुस्तकें लिखी जाये । विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग या मंत्रालय में एक अलग विभाग बनाया जाना चाहिये जो यह सुनिश्चित करे कि विभिन्न क्षेत्रिय भाषाओ में अच्छी पाठ्य पुस्तकें लिखी जायें।

**श्री जी० विश्वनाथन्** (वान्डीवाश) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि अकादमीय एंव व्यावसाय पाठ्यक्रमों में अधिकांशत: उच्च शिक्षा विशेषकर पूर्वस्नातक स्तर पर, छात्रो की आवश्यकताओं उनकी योग्यताओं एवं अभिरूचियों तथा देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। यह तो हमारे देश में शिक्षा संस्थाओं, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के कार्यकरण का सारांश प्रतिपादित करती है। हम गत चार वर्ष से अपने वर्तमान शिक्षा मंत्री से बड़ी आशाएं एंव शीघ्र परिणामों की अपेक्षा कर रहे हैं।

सरकार ने पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय खोलने का वचन दिया है, जो अभी तक पूरा नही हुआ है। आशा है यह विश्वविद्यालय शीघ्र ही कार्य आरंभ कर देगा।

हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न प्रकार का है। विभिन्न शिक्षा आयोगो ने बताया है कि विश्वविद्यालयों से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर स्नातक योग्य नहीं पाये गये है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस मामलें पर सभी विश्वविद्यालयों से विचार विमर्श करना चाहिए यद्यपि ये विश्वविद्यालय राज्य सरकारों या अन्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित है। मेरे विचार से मंत्री महोदय को इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये।

शिक्षा की गुणवत्ता पर विचार करते समय हमें छात्रों को ही ध्यान में रखना होगा। छात्र अध्यापक सम्बन्ध शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि छात्र के विषय में अध्यापक को कुछ मालूम नहीं होता उनमें आपसी निकटता का अभाव रहता है। इन सम्बन्धों को सुदृढ़ करके हम शिक्षा के स्तर में सुधार कर सकते है। साथ ही साथ छात्रों में अनुशासन की भावना भी पैदा की जा सकती है।

अध्यापक को यदि छात्र की पृष्टभूमि का पता हो तो छात्र की गलतियों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। उसकी समस्याओं का अन्दाजा लग सकता है। विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में छात्रों को भागीदार बनाने के विषय में भी कहा गया है। मुझे प्रसन्नता है कि केरल में ऐसा किया जा रहा है। एक अन्य प्रश्न यह उठाया गया है कि छात्र अध्यापकों का मूल्यांकन करें। पहले ही छात्र राजनीति में बहुत घुसते जा रहे है। आज इस स्थिति के लिये हम सभी दोषी हैं। सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि छात्र हमारे साथ जायें। अब समय आ गया है कि हम विश्वविद्यालयों और कालेजों को राजनीतिक अखाड़े न बनायें।

शिक्षा के स्तर को बनाने और बिगाड़ने में शिक्षक का अधिक हाथ होता है। सारे देश का भविष्य उसके हाथ में है। शिक्षक ही छात्रो में अनुशासन की भावना भर सकता है, उनका चरित्र निर्माण कर सकता है। लेकिन उपदेश मात्र से कुछ नहीं होता। शिक्षक को स्वयं इन गुणो को धारण करना चाहिये।

[ श्री जी० विश्वनाथन ]

शिक्षकों की कुछ अपनी मांगे हैं। इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि शिक्षक का वेतन अच्छा हो और उसे अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जायें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होस्टलों तथा ग्रंथालयों पर ध्यान अवश्य दे रहा लेकिन कालेज की ग्रंथालय या होस्टल के लिये केवल 50,000 रूपये दिये जाते हैं। यह राशि नितान्त अपर्याप्त है। विश्वविद्यालय अनुदान को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय काफ़ी समय से शिक्षा में सुधार की बातें करते आ रहे हैं लेकिन इन्हें किया कब जायेगा। आप कहते है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति पुरानी पड़ गई है लेकिन उसका विकल्प क्या सोचा है। क्या हम अंग्रेजों की चलाई हुई प्रणाली ही जारी रखेंगे। अब देश की आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिये।

**Shri Rudra Pratap Singh** (Barabanki): I fully support this Bill. Prof. Nurul Hasan is an efficient Minister and takes much interest in the educational affairs. I want to draw the attention of this august House towards the sense of discipline. It is the discipline which moulds the character of the student and the student of today is the nation-builder of tomorrow.

First of all we have to take into account the causes of indiscipline. Schools, Colleges and Universities are a part of the society so the matter relating to discipline cannot entirely be left to the Education Ministry. There are certain vested interests which utilise students for their own selfish end directly or indirectly. I can cite the example of J. P. who misguided the students. The people of India will not excuse J. P. for the havoc, he has played with the society.

I am fully convinced that the Prime Minister's own conduct will act as a lighthouse for the ship of the nation. It will continue to inspire the general masses. No doubt we want to provide equal rights to women in this International Women Year, but this does not mean that our youngmen should keep long hair and wear dresses like girls. This will not in any way help us in building the nation.

Even to-day untouchability is being practised in our educational institutions in some form or the other. Although steps are being taken by Government yet much remains to be done.

There should be students participation in the management of the Colleges. They should also be entrusted with some responsibility and they will feel that they have a hand in the working of their institution. The Prime Minister has said in her 20-point programme that students will get books on fair price and hostelers will get essential commodities on fair prices. It is very good.

Unemployment is one of the most acute problems facing the country. The students feel that there is no future after completing the education. I am happy that the Prime Minister has promised to wipe out unemployment in her 20-point programme.

I am hopeful of a bright future under the able leadership of Mrs. Gandhi and a new India will emerge.

**श्री ध.मनकर** (भिवंडी): सभापति महोदय मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1972-73 के दौरान किये गये कार्य की सराहना करता हूं । इस बार का प्रतिवेदन एक अलग किस्म का है, परम्परा से हट कर है । इस बार प्रतिवेदन में कई महत्वपूर्ण बातें जोडी गई हैं जैसे विभिन्न विषयो के सम्बन्ध में कितना-कितना अनुदान दिया गया आदि ।

विज्ञान पर बढ़ाया गया व्यय तो समझ में आता है लेकिन इसका यह अर्थ नही कि मानविकी पर किये जाने वाले व्यय को कम किया जाये ।

छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाये जिससे वे आगे चल कर कोई व्यवसाय अपना सके । रोजगारोन्मुख शिक्षा ही बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा दिला सकती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रो में कर्मशालाओं, मुर्गीपालन के फ़ार्म आदि खोले जाने चाहिये ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों द्वारा चलाये जा रहे कालेजों को अधिक सहायता दी जाये । रोजगार की नई योजनाओं की ओर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये । ऐसी एक योजना हमारा कालेज भी भेज रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने काफ़ी समय पहले उन कालेजो को वित्तीय सहायता देने की बात मान ली थी जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये विशेष रूप से शिक्षा का प्रबन्ध कर रहे हों । हम पिछले सात वर्ष से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कमजोर छात्रों को पढ़ा रहे है ताकि वे कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ चल सकें ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजो को दी जाने वाली राशि बहुत कम है । इसे बढ़ाया जाये ।

अब मैं भिवंडी कालेज के बारे में कुछ कहना चहता हूं । मंत्री महोदय जो महान शिक्षाविद् है, वे वहां आये और देखें कि हमारें कालेज में कैसी हिन्दू-मुस्लिम एकता है । यह एक माडल स्कूल है । भिवंडी में इतने दंगे हुए लेकिन छात्र चाहे हिन्दू हों या मुसलमान आपस में मिल कर रहे । कालेज राष्ट्रीय एकता का नमूना है । सरकार को ऐसे कालेजों को अधिक सहायता देनी चाहिये । नये आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने के लिये ऐसा अवश्य उपाय किया जाना चाहिये ।

एक अन्य बात यह है कि छात्रों के लिये सस्ते होस्टल खोले जाये । बड़े कमरे हो जिनमें 6 तक छात्र एक साथ रह सकें ।

इन शब्दों के साथ में प्रतिवेदन की सराहना करता हूं ।

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna): Some Members have rightly pointed out that there is a need for radical changes in the education system. We have been say-

[Shri Ramavatar Shastri]

ing all this for the last so many years but our achievements are far from satisfactory. Programmes should be implemented effectively.

Secondly reactionary elements are infilterating the educational institutions. These elements are available both in the teacher as well as the student community. They should be weeded out speedily.

It is true that certain arrests have been made but a large number of miscreants are still at large. I am unable to understand why the Vidyarthi Parishad has not been declared an illegal body.

The University Grants Commission had visited Patna in March or April A delegation on behalf of the students and teachers apprised the Commission of their basic problems. Now the Government have come forward with a programme to provide books and food at cheap rates. This is indeed a welcome step. But there is need to pay attention towards improving the conditions prevailing in the hostels. Inspite of the fact that the University Grants Commission has given rupees 19 lakhs to the Patna University, the hostel accommodation there is not enough. Not only that the science students in the university do not have proper equipment for experiments. This is because of poor financial position of the University. I have been advocating for establishment of Central University in each state. If Patna University is made a Central University, the situation may improve.

It is a matter of regret that the University Grants Commission does not pay proper attention towards Colleges located in rural areas. In many educational institutions the salaries of teachers are paid, are very late. Government should ensure that the payment of salary is made at proper time.

The condition of non-teaching staff of the Universities is very miserable. They have some genuine grievances. It is high time those grievances are redressed. If our Government discharge its obligations towards educational institutions sincerely, they will get cooperation from all sides.

**Shri Md. Jamilurrahman** (Kishanganj): The Report of University Grants Commission for the year 1972-73 was presented in the House in 1974 and now in 1975 it is under discussion. Since then great changes have taken place in the country and many of the things contained in the report have become out of date.

There is urgent need for complete overhaul of the present system of education. Unfortunately the University Grants Commission has failed in this regard. Our education is not job-oriented. Number of unemployed youth is at increase. Moreover, political parties are exploiting them for political motives.

In our country 85 to 90 per cent people live in villages. Therefore, there is great need for providing educational facilities in rural areas.

It is a matter of gratification that scholarships and books will be provided to poor students.

Aithough our party and leader say much about giving encouagement to Urdu language, our Government have not yet been able to make Jamia Milia an Urdu University. May I know what are the reasons therefor?

The conditions in Mithila University are very unsatisfactory. Immediate attention should be paid to bring about improvement there.

There are about 16 regional engineering colleges in the country. They should be run on the line of Indian Institutes of Technology, so that they can prove more useful for the country.

**श्री लक्ष्मीधर कटकी** (नवगांव) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन पर ऐसे समय में चर्चा की जा रही है जब कि देश में आपातकालीन स्थिति है। छात्रों की अपनी कुछ शिकायतें हैं और उन्हें दूर करने के लिए यह उचित समय है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को न केवल विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की शिक्षा को बल्कि सारे देश की शिक्षा को दिशा प्रदान करनी है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करना आवश्यक है।

20 सूत्री कार्यक्रम में 3 सूत्र छात्रों से सम्बन्धित हैं। इनमें से एक सूत्र विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु प्रशिक्षुता योजना शुरु करने के बारे में है। इस दिशा में कार्य शुरु हो गया है। इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि यह योजना 45 विश्वविद्यालयों एवं 18 महाविद्यालयों में लागू है। लेकिन इस कार्य के लिए आवंटित राशि पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सुविधा प्रत्येक छात्र को दी जाए और इसके लिए हमें अधिक ससाधन जुटाने होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष सबसे बड़ी रुकावट धनाभाव है।

छात्रों में अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, उदाहरणार्थ राष्ट्रीय अनुशासन योजना–राष्ट्रीय केडट कोर तथा भारत स्काउट्स तथा गाइड्स। छात्र-छात्राओं के लिए इनमें से एक योजना चुनना अनिवार्य होना चाहिए।

शिक्षा को रोजगार प्रधान बनाया जाना चाहिए। शिक्षा आयोग का कहना है कि यदि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा दी जाए तो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन इसका कहना है कि शिक्षा का विषय राज्य सूची में आता है, इसलिए आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाए ताकि संसद इसके बारे में कानून बना सके। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि हम स्त्रियों को शिक्षित नहीं करते तो हम भविष्य में अच्छे नागरिकों की आशा किस प्रकार कर सकते हैं? जहां तक छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाओं का प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुल लागत का 75 प्रतिशत देता है और शेष 25 प्रतिशत राज्य को जुटाना पड़ता है। हम ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धन छात्राओं के लिए सस्ते छात्रावास बनाने चाहिए और उन्हें वहां खाना पकाने की सुविधा देनी चाहिए।

[श्री लीलाधर कटकी ]

हमें बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 18 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि गरीब लड़कियों को अपना खाना बनाने की सुविधाए भी दी जायें ।

**श्री अरविन्द बाल पजनोर** (पांडिचेरी) : आज की स्थिति में हम अनुदान विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदन पर अब भली प्रकार विचार कर सकते हैं । अब शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे वातावरण का आरंभ हो गया है । स्वतंत्रता के 27 वर्ष पश्चात् की स्थिति का अध्ययन करने से हम अनुभव करते हैं कि उच्च शिक्षा के बारे में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है । उच्च शिक्षा की कठिनाइयों तथा बुराइयों को तो हम जानते हैं लेकिन हम उसका समाधान नहीं कर पाते ।

1958–59 में जब मैं विधिविद्यालय में पढ़ता था तब एक सेक्शन में 715 छात्र थे । परन्तु आज भी आन्ध्र प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में प्रातःकालीन कक्षाओं में 1,600, दिन की कक्षाओं में 1,200 तथा सायकालीन कक्षाओं में 1,600 छात्र हैं जबकि वहां केवल 10 प्रतिशत छात्रों के लिये ही पर्याप्त स्थान है ।

यदि हम विद्यार्थियों को कालेजों में उचित पाठ्यक्रमों द्वारा पढ़ाई में व्यस्त रख सकें तो उनका ध्यान राजनीति आदि की ओर नहीं जायेगा । खेलकूद को उचित महत्त्व दिया जाना चाहिए । हर संस्था में खेलकूद प्रशिक्षण हेतु सुविधाए होनी चाहिए ।

परीक्षा प्रणाली में भी कुछ खराबी है । अयोग्य लोग एम०ए० तथा डाक्टोरेट में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाते हैं । मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता है ।

हमें ग्राम्य क्षेत्र की शिक्षा समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए । वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में शहरी लड़कों की तुलना में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाते । उन लोगों को अखिल भारतीय स्तर पर आने के अवसर दिये जाने चाहिए । अध्यापन कार्य में सुधार करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरु किये जाने चाहिए ।

शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटेन, अमरीका, रूस जापान आदि देशों से हमारा सहयोग है । लेकिन फ्रांस से प्रशिक्षण और प्रद्यौगिकी के बारे में हमारा कोई भी सहयोग नहीं है । इस पर विचार किया जाना चाहिए ।

ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि देश के एक कोने का विद्यार्थी दूसरे कोने के विद्यार्थी से बातचीत कर सके । यह अत्यन्त आवश्यक है । हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्त्व देना चाहिए लेकिन तकनीकी ज्ञान के लिये एक अंतराष्ट्रीय भाषा की भी आवश्यकता है ।

**श्री पी० एंथनी रेड्डी** (अनन्तपुर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में अपार प्रगति हुई है ।

शिक्षा मंत्री तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षा का स्तर उठाने तथा कालेजों और विश्वविद्यालयों में अच्छे वैज्ञानिक उपकरण प्रदान करने के लिये नये कालिज और विश्वविद्यालय खोलने

का कार्यक्रम कुछ समय के लिये स्थगित कर देना चाहिए । कालिजों तथा छात्रावासों मे ग्रन्थालय, आवास आदि की अधिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिएं ।

हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली बहुत पुरानी है, और अंग्रेजों के समय से चली आ रही है । इससे युवकों को केवल क्लर्क बनाने की प्रेरणा मिलती है । हमारे नागरिक आत्मनिर्भर बने इसके लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना पड़ेगा । हर कालिज में विद्यार्थियों की रुचियों तथा गुणों का अध्ययन करने के लिये एक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए जो उनका मार्गदर्शन कर सके और अपनी रुचि तथा गुण के अनुसार अध्ययन करने के बाद वे अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन सकें ।

मैं स्वायत्तशासी कालिज के विचार का समर्थन करता हूं । अब तक हम विद्यार्थियों को किसी परीक्षा के लिये पढ़ाने की ओर ध्यान देते रहें हैं । हमने उन्हें सर्वांगीन शिक्षा प्रदान नहीं की है । यदि कालिज स्वायत्तशासी हों तो हम विद्यार्थियों को सर्वांगीन शिक्षा प्रदान कर सकते हैं । प्रत्येक राज्य में एक स्वायत्तशासी कालिज सरकार तथा एक प्रख्यात शिक्षा केन्द्र के नियंत्रण में खोलकर इस दिशा में एक प्रयोग किया जा सकता है । हम कुछ वर्षों तक इन कालिजों के कार्यकरण का अध्ययन कर सकते हैं और यदि यह प्रयोग सफल हो तो हम देश में बड़े पैमाने पर लागू कर सकते हैं ।

**Shri P. Ganga Reddy** (Adilabad): We should have a national policy for education. Taking all these things into consideration education should be made a central subject or at least brought under concurrent list.

There is restlessness, dissatisfaction and extreme indiscipline among the students. They do not give any importance to studies. It has become difficult to distinguish between man and woman as far as their dressing habits, etc, are concerned. Immediate action should be taken to have regulations regarding hair cutting, dress, etc., and discipline should be enforced.

Some of my friends have stated that Public Schools are luxurious and we should do away with them. But my submission is that we should make an attempt to raise the standard of other schools rather than to do away with the institutions which are functioning quite satisfactorily. At the same time, my submission is that we should pay more attention to vocational and technical education so that our young men could be able to earn their livelihood after completion of their education.

More attention should be given to the sports in colleges. It is a matter of grave concern that our country failed to snatch even a single Gold Medal in Olympic games. Necessary facilities for the games and sports should be provided so that our students may not be able to spare time for participation in political or politically, motivated agitations. Military training should be made compulsory for the students. It will only help in enforcement of discipline among the students but will also infuse in them the sense of patriotism.

Regarding the recruitment of teachers, it is submitted that only intelligent and talented people should be recruited in this profession because as a matter of fact, the teachers are the real builders of the nation and utmost care should be taken in their recruitment. I welcome the government decision for giving aid to the scientific research scholars for writing books. The facilities of a steno or an

[Shri P. Ganga Reddy]

assistant should also be provided to doctors and engineers. More funds should be made available for rural colleges. Urdu is the language of our country and more attention should be paid for its propagation and expansion in the country.

**श्रीमती रोजा देशपाँडे** (बम्बई मध्य): मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में सुधार करना होगा। यह सच है कि हमारी शिक्षा रोजगार-प्रधान होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को केवल स्नातक ही नहीं तैयार करने चाहिएं। उन्हें शिक्षा इस ढ़ग से मिलनी चाहिए जिससे वे अनुभव करें कि देश के प्रति इनका भी कोई कर्तव्य है।

यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है और मैं जानना चाहती हूं कि आप इस वर्ष महिलाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं। गांवों में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। गांव के लोग अपनी लड़कियों को स्कूलों में भजने के प्रति उदासीन हैं। हमें देश के बड़े बड़े ज़िलों में कुछ महिला कालेज, स्कूल तथा छात्रावास बनाने चाहिएं।

हमारे देश में अनेक विद्यापीठ, कालेज और विश्वविद्यालय हैं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन संस्थाओं का प्रजातंत्रीयकरण हो और उन्हे चलाने में अध्यापकों, प्रोफेसरों तथा विद्यार्थियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहती हू। कोल्हापुर में एक मौनी विद्यापीठ है और यह काफी बड़ा विद्यापीठ है। केन्द्र सरकार भी इसे 2 लाख रुपये का अनुदान दे रही है। महाराष्ट्र सरकार भी इसे अनुदान देती है लेकिन यह श्री दी० पी० पाटिल और श्री मुलगांवकर की निजी सम्पत्ति बन गया है। इस कालेज में एक विद्यार्थी की हत्या कर दी गई है और इस बारे में मैंने शिक्षा मंत्री जी को तार दिया था कि वह इसकी जांच कराए। इस विद्यार्थी की हत्या श्री मुलगांवकर के अंगरक्षक द्वारा की गई है। प्रत्येक दल इस हत्या के बारे में गंभीर है। ऐसे विद्यापीठ को चलाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? इस विद्यापीठ में कई बहुत अच्छे शिक्षाविद थे लेकिन उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। विद्यापीठ के प्रोफेसरों को वेतन नहीं दिया जा रहा। इस विद्यापीठ के जो मालिक बने बैठे हैं वह वेतन देना ही नहीं चाहते। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर बल दे रही हूं कि इस संबंध में जांच कराइ जाए। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही विधान होना चाहिए ताकि अध्यापक, प्रोफेसर तथा विद्यार्थी भी विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सके और विद्यार्थी अपनी शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को अध्यापकों के समक्ष रख सकें। स्कूलों और कालेजों में समान पुस्तकें नहीं लगाई जाती। किसी कालेज में कोइ एक किताब लगती है तो दूसरे कालेज में दूसरी लगती है। स्कूलों और कालेजों के लिए समान पुस्तकें निर्धारित की जानी चाहिए। इतिहास और राजनीति पढ़ाने के लिए देश भर में एक ही प्रकार की प्रणाली होनी चाहिए।

**श्री विश्वनारायण शास्त्री** (लखीमपुर): यह सर्वविदित है कि शिक्षा राज्य का विषय है लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षा के स्तर में विशेषकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार करना होता है और जब तक इसके कार्य के लिए समुचित नियंत्रण और शक्ति आयोग को नहीं दी जाती वह अपने कार्य में सफल कैसे हो सकता है अतः शिक्षा मंत्री को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक शक्ति और समन्वयन कार्य देने पर विचार करना चाहिए ताकि वह अपना काम ठीक तरह से कर सके। शिक्षा मंत्री यह कार्य दो प्रकार से कर सकते हैं एक तो शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को अनुरोध

करके और दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाने वाली राशि में कमी करके––कुछ मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान न दे और इस प्रकार वह नियंत्रण रख सकता है। लेकिन यह उचित तरीका नहीं है। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए विस्तृत उपाय किए जाए।

प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को एक समेकित प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। यह भी कहा गया है कि कालेजों का विकास अनियमित है लेकिन यह विषय राज्य सरकार का है और इस पर न तो केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कोई नियंत्रण है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो केवल अनुदान देता है और अपने सीमित संसाधनों के साथ वह शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं कर सकता अत: इस सम्बन्ध में उचित योजना की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है अनुसंधान और प्रकाशन कार्यों पर अधिक बल देने के कारण शिक्षा के उचित विकास और सुधार में रुकावट आई है और अनुसंधान भी एक सीमा तक घिसा पिटा सा लगने लगता है। विद्यार्थियों को अनुसंधान कार्य के समाप्त कर लेने के बाद भी सहायक विषयों का ज्ञान नहीं होता। विदेशों में कुछ विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य करने वाले विद्यार्थियों को सहायक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कक्षाओं में जाना पड़ता है। हमारे यहां भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वानों द्वारा जो अनुसंधान कार्य किया गया है इस बारे में न तो शिक्षा मन्त्रालय ने और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ प्रकाशित किया है। अब यह कार्य हाल ही में बड़ौदा विश्वविद्यालय को सौंपा गया है और इसके लिए 10,000 रुपये का अनुदान दिया गया है। यह राशि पर्याप्त नहीं है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कार्य को अपने हाथ में ले ले क्योंकि इससे अनुसंधान करने वाले विद्वानों का ज्ञानवर्धन होगा।

विभिन्न विश्वविद्यालयों को पुस्तकालयों के लिए अनुदान दिया गया है लेकिन ऐसा कोई भी विशेष पुस्तकालय नहीं है जहां कि विश्व विख्यात भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध हों कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसे पुस्तकालय भी होने चाहिएं जहां विश्व भर के साहित्यिक प्रकाशन उपलब्ध हों।

**Shri Rajdeo Singh** (Jaunpur): The U.G.C. report for 1972-73 is before us. It is correct that there has been vast expansion of education in the country during these years. But it is a sad development that politics and indiscipline has marred our educational system. I think its remedy is that there should be selective admission in the universities. I also think that a ban should be imposed at least for the next 15 years on the formation of students unions.

Although education is a nation-building item, but still it has harmed the nation more than building it. If U.G.C. has not got adequate powers under the Constitution, they should be saddled with more powers so that they can direct the State Governments to stream line their education system. I further feel that education should be made a concurrent subject if the State Government's are not prepared to hand it over to the Centre. U.G.C. disburses crores of rupees to the Degree Colleges for hostels, libraries, buildings, etc., but it does not have any cell or squad to see that the funds disbursed by them to the Degree Colleges

[Shri Rajdeo Singh]

are utilised properly. Therefore a cell or squad should be set up for this purpose.

There are twelve members in U.G.C. and if each member is allocated a different subject to deal with, its functioning will become more efficient.

There are several rural degree colleges in our country but the standard of education there is inferior. Competent professors hesitate to go to rural areas because they don't get the same facilities which they get in urban areas. They have to face the problem of accommodation also. In order to improve their standard the U.G.C. should give liberal help to rural degree colleges on a priority basis for building staff quarters and hostels.

With these words I support this report.

**Shri B. R. Shukla** (Bahraich): The present emergency in the country has provided a good opportunity to the Ministry of Education to introduce reforms in the system of Education prevalent in this country. There is no disturbance in the university campus these days. Sense of discipline has grown in the minds of students,. Teachers and students have realised that hooliganism will not be tolerated. Some professors have been arrested for their association with R.S.S. or with anti-social elements. The Minister of Education should make amendments in the Education Code so as to provide for the termination of services of such professors.

It is being emphasised these days that practical tests should be held as internal tests in universities. I do not support it. In fact tutorial and internal examinations held in colleges and universities do not help much the meritorious students. The vested interests have flourished so much in universities these days that they manage to get things done as they like.

There are certain colleges affiliated to B.H.U. which are functioning in the city outside the university campus and the teaching staff working in these colleges dc not get the central pay scales. They are getting the U.P. Government pay scales. They are not getting even the new pay scales as recommended by the U.G.C. This has created great anomaly and it should be removed.

The Banaras Hindu University has been a stronghold of R.S.S. and litigation have been going on in regard to certain matters there. This emergency should be utilised to abolish these elements from the university for all time to come.

In the last I would like to submit that the Ministry of Education as well as U.G.C has done a lot to streemline the educational structure.

**Shri Shivnath Singh** (Jhunjhunu) The University Grants Commission should be made the highest institution in the field of education. The U.G.C. has been a failure due to certain legal lacunas as well as inadequate exercise of the powers given to it. I submit that the U.G.C. should not only undertake the job of disbursing grants to educational institutions but also devote more attention to the development of educational facilities in the rural areas. Otherwise the village students who cannot come to urban areas for higher studies will be deprived of

higher education. Our backward areas will remain backward. I want to know how many colleges and universities have been opened in rural areas. If any college has been set up it doesn't have the hostel facility Therefore I request that U.G.C. should pay more attention to the development of educational facilities in rural areas. The Education Minister had given an assurance two years back that a probe would be made into the working of deemed universities but nothing has been done so far.

The Birla Institute of Technology and Science has become an institution of minting money and evading taxes. The plight of teachers there is pitiable. Out of 198 Faculty members 94 are temporary. For the last ten years they are on temporary posts. It is completely a mismanaged institution. Neither the Ministry of Education nor the U.G.C. have taken any measures to set things right there. The U.G.C. has rather continued to disburse grants to them. Moreover huge donations are being made to the Birla institutes. All these donations are tax free. The hon. Minister has said that—

"Each of the following amounts has been or will be allowed as deduction in computing the income of the payer and therefore will be completely exempted from tax."

These people evade tax in this form and spend less. In 1970-71 their estimated budget was 81 lakh and 28 thousand but they spent only 64.82 lakh. Likewise in 1972-73 their estimated budget was of 83.11 lakh rupees but only 66.27 lakh rupees were spent out of it. No institution of any deemed university has received so much amount of money.

The funds disbursed by U.G.C. to various institutions are not being properly utilised. There should be more effective control on it. The Ministry of Education should make an enquiry as to how these funds are being utilised.

**प्रो० एस० नूरूल हसन** : मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने उच्च शिक्षा के मामले में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों में इतनी रुचि दिखाई है और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं यद्यपि समय की कमी के कारण मेरे लिए इन सभी सुझाओं के बारे में उत्तर देना सम्भव नहीं है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं उन सभी सुझावों पर विचार करूंगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने सीमित संसाधनों के साथ अर्थात् जो कुछ उसे यह सदन देने में समर्थ हुआ है बहुत अच्छा काम कर दिखाया है वित्तीय कठिनाइयों के कारण शिक्षा मंत्रालय को दिए जाने वाले अनुदानों में भारी कटौती करनी पड़ी। जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी गई राशि का सम्बन्ध है उसमें सबसे अधिक कटौती की गई है अतः आयोग को कई ऐसे कार्यक्रमों को जिन पर कि कार्य किया जाना चाहिए था और जिन्हें आयोग हाथ में लेना चाहता था, स्थगित करना पड़ा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 210 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। मेरे विचार में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कम से कम 250 करोड़ रुपये तो अवश्य दिए जाने चाहिए थे लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण आयोग ने यह राशि 210 करोड़ रुपये निर्धारित की। पिछले दो वर्षों में देश को जिन वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा उससे

[प्रो० एस० नुरूल हसन]

यह सदन भली भांति अवगत है। मैं आशा करता हूं देश की स्थिति में शीघ्र सुधार होगा और हम थोड़े ही समय में यह नुकसान पूरा करने में समर्थ होंगे।

केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 26 प्रतिशत धनराशि शिक्षा पर व्यय की जाती है। यद्यपि वित्तीय कठिनाइयों के कारण शिक्षा के लिए दी जाने वाली राशि में कटौती अवश्य की गई है फिर भी शिक्षा के उद्देश्य की उपेक्षा नहीं की गई है।

यह कहा जा रहा है कि हम अभी भी शिक्षा की पुरानी साम्राज्यवादी पद्धति को जारी रखे हुए हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और यह भी कहा गया है कि इस देश ने कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है। इस बारे में हमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी होंगी।

सर्वप्रथम शिक्षा पद्धति में परिवर्तन एक निरन्तर प्रक्रिया है और शिक्षा सुधार भी एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसे किसी निश्चित समय पर रोका नही जा सकता अतः यह मांग करते हुए कि शिक्षा की परिवर्तनशील परिस्थियां, वातावरण और देश की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुकूल ढ़ाला जाये तब हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में विशेषतया उच्च शिक्षा के मामले में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। आज अत्याकिक महत्वपूर्ण आवश्यकता राष्ट्र में आत्मविश्वास पैदा करने की है ताकि हम वास्तव में आत्म निर्भर बन सके।

मैं सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि उपनिवेशवादी प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा केवल सर्वोत्कृष्ट वर्ग के लोगो को ही प्राप्त थी। लेकिन आज शिक्षा देश की आम जनता तक पहुच गई है। वर्तमान आंकडो से पता चला है कि देश में 10 करोड़ बच्चे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते है यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है बीच अधूरी शिक्षा छोड़ने सम्बन्धी समस्या से मैं अवगत हूं इसके लिए हम एक नई दिशा देने पर विचार कर रहे है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा एक निर्णय लिया गया है। इस सदन ने भी एक निर्णय लिया है और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है यह राष्ट्रीय नीति वर्तमान परिवर्तनों के अनुरूप क्रियान्वित की जा रही है। शिक्षा का प्रसार हुआ है।

जहां तक साक्षरता का सम्बन्ध है 1961 और 1971 के बीच शिक्षित लोगों की संख्या 10 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 16 करोड़ हो गई है 1971 में सभी आयु वग के लोगों की जन्म से चार वर्ष तक आयु वर्ग वाले बच्चों को छोडकर साक्षरता 34 प्रतिशत है अत्यन्त महत्वपूर्ण आयु वर्ग अर्थात 10 वर्ष से 14 वर्ष तक जबकि बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिये, साक्षरता 50 प्रतिशत तक पहुच गई है। इसका यह अर्थ हुआ कि यद्यपि अधूरी शिक्षा छोड़ देने की समस्या अत्यन्त गम्भीर होने पर भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति व्यथ है अन्यथा 14 वर्ष की आयु वर्ग में साक्षरता की प्रतिशतता इतनी अधिक नही बढ़ती 15 से 24 वर्ष तक आयु वर्ग के लोगों में साक्षरता 48 प्रतिशत है। यदि हमारे स्कूल इसमें सहायता न करते तो इस प्रतिशतता का इतना विकास नहीं होता जनसंख्या सम्बन्धी शैक्षिक संसाधनों के विकास में स्कूलों का भारी योगदान रहा है।

अब मैं उच्च शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत समस्याओ को लुंगा देश में 25,000 इंजीनियर स्नातक, 47,500 इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने तथा 12,500 चिकित्सा स्नातक एवम 15,000 कृषि स्नात्को के लिये क्षमता है। अत: देश ने प्रौधोगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में भारी प्रगति की है। हमारे पास अनुसंधानकर्त्ताओं का बहुत संवर्ग है। भारत का प्रोद्योगिकी तथा वैज्ञानिकी संवर्ग विश्व में तीसरे स्थान पर है। हमारे इंजीनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक सरकारी कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालयों के स्नातको ने ही इस देश के लिए बांध बनाये हैं बिजली घर बनाये है बड़े बड़े कारखाने और फार्म बनाये हैं इन्होंने ही विश्व में विद्यमान विशाल समाजिक सेवा पद्धति तैयार की है। इन उपलब्धियों के साथ कुछ असमानताऐं भी हैं। कुछ ऐसे संस्थान है जो वास्तविक स्तर के नहीं हैं।

एक अन्य समस्या शिक्षा और रोजगार के सम्पर्क की है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है। रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। राष्ट्र के समग्र आर्थीक विकास से जुड़ा हुआ है। इसमें हमें कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से कठोर परिश्रम करना होगा। तभी बेरोजगरी की समास्या हल करने में समर्थ होगे। लेकिन इसके साथ साथ जब तक रोजगार की सम्भावना की वृद्धि नहीं होगी उच्च शिक्षा के अनियमित प्रसार और विस्तार की अनुमति देना उचित नही होगा। अत: यह दोहरी वृद्धि है। पहले हम इस अवधि में स्थापित सभी कालेजों को वित्तीय सहायता नहीं दे सकते और दूसरे डिग्री प्राप्त करने वाले लोगों को उचित रोजगार नहीं मिलता है।

एक अन्य समस्या शिक्षा की समवर्ती विषय बनाने की है। इस मामले पर मैं कोई निर्णय देने में असमर्थ हूं। इस पर तो प्रधान मंत्री राज्यो के मुख्य मंत्रियों से सलाह करके निर्णय ले सकती हैं। फिर भी मैं यह देखने का प्रयत्न करूगा कि क्या संविधान के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी परिवतनों और सुधारों की गति तीव्र करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिक शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन परिवर्तनों धीमी गति के सम्बन्ध में हमसे अधिक चिंतित है। लेकिन जब हम कोई परिवर्तन लाने की बात करते हैं तो यहां सदन में मत वैभिन्य हो जाता है। बाह्य परीक्षा पद्धति से लाभ नहीं होगा। शिक्षा की परीधी से साम्प्रदायिकता, जातिभेद जैसे सिद्धांतों का उन्मूलन किया जाना चाहिये। हमें प्रति-क्रियावादी शिक्षकों को भी बाहर निकालना है। हमें शिक्षकों पर विश्वास करना चाहिए। अध्यापकों पर विश्वास किये बिना हम शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं होंगे।

अनुशासन के प्रश्न पर भी यथेष्ठ बल दिया गया है। शिक्षा अनुशासन की एक प्रतिक्रिया है। शिक्षा मस्तिष्क, चरित्र, व्यक्तित्व तथा शरीर, सबको अनुशासन में करने वाली एक प्रक्रिया है अत: सदस्यों ने ठीक ही अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं आशा करता हूं कि यह सन्देश सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों तक पहुंचेगा तथा प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए अनुशासन आह्वान का हमारे सभी वर्ग और शिक्षा संस्थान पालन करेंगे।

समाज के पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापघों की नियुक्ति को न्यूनतम अर्हताएं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसलिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए अध्यापको के पद आरक्षित रखे गये हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालाय अनुदान आयोग ने

[प्रो० एस० नुरुल हसन]

यह सिफारिश भी की है कि शिक्षा संस्थानों में, विशेषकर उच्च शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थान आरक्षित किए जायें।

पांचवीं योजनावधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 5 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है। पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास की दशा के बारे में भी उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस स्थिति का पता है। मुझे आशा है कि पांचवीं योजनावधि में पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास की दशा में सुधार कर दिया जायेगा और यह समस्या हल हो जायेगी।

मौनी विद्यापीठ का मामला महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया गया है, क्योंकि यह महाराष्ट्र सरकार और कोल्हापुर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

**श्रीमती रोजा देशपाँडे** : क्या आप उन्हें अनुदान दे रहे हैं ?

**प्रो० एस० नूरूल हसन** : यह ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्थान है। हम अनुदान दे रहे हैं। निर्णय लिया गया है कि एक निश्चित तिथि के बाद उन्हें अनुदान देना बन्द कर दिया जाना चाहिए और ये सभी पड़ोसी संस्थानों के साथ सम्बद्ध कर दिए जायेंगे। यह संस्थान अब कोल्हापुर विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध हो गया है और हम उसे अनुदान दे रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने पाठ्यक्रमों को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए इन का पुनर्निमार्ण करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया है। मैं इस मत से पूर्णतः सहमत हूं। मैंने आरम्भ में ही उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके प्रति पूर्णरूपेण जागरूक है। यह कहना ठीक नहीं है कि जब से कोठारी आयोग ने सिफारिशें पेश की हैं तब से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वह सभी सिफारिशें जिन्हें इस सदन ने स्वीकार कर लिया है तब से शिक्षा के राष्ट्रीय नीति संकल्प में शामिल की गई हैं; क्रियान्वित की जा रहीं हैं लेकिन यह सच है कि क्रियान्वियन की प्रक्रिया इतनी तेज नहीं है जितनी कि आप लोग चाहते हैं।

जामिया मिलिया की चर्चा भी की गई है। सरकार जामिया मिलिया को यथासम्भव सहायता देने का प्रयास करेगी ताकि वह फले फूले और उसी प्रकार राष्ट्र की सेवा करता रहे जैसा कि वह अतीत में करता आया है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि यदि दिल्ली के कालेजों को उनके स्वीकृतबातों का 95 प्रतिशत दिया जाता है तो जामिया मिलिया को सरकार की ओर से शत प्रतिशत दिया जाता है।

सुझाव दिया गया है कि जामिया मिलिया को उर्दू विश्वविद्यालय बनाया जाये। इस विश्वविद्यालय को अपनी डिग्रियां देने का पूरा अधिकार है। इसमें पढ़ाई का माध्यम उर्दू है और परीक्षाओं का माध्यम भी उर्दू ही है। अन्य विश्वविद्यालयों जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान उर्दू माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति है।

उर्दू बोलने वालों की संख्या देश में बहुत है। अतः एक विश्वविद्यालय को उर्दू विश्वविद्यालय की संज्ञा दे देने से उर्दू बोलने वाले लोगों की समस्या हल होने की सम्भावना नहीं है। अतः सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों ही देश के सभी भागों में उर्दू के विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं। देश के कम से कम 21 विश्वविद्यालयों में उर्दू के स्नातकोत्तर विभाग हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना में विद्यार्थी समुदाय को भी शामिल करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना चौथी योजना के प्रारम्भ में शुरू की गई थी और तब इसमें चालीस हजार विद्यार्थी थे और अब 1974–75 में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 1.6 लाख हो गई है। इस योजना का पुनः विस्तार और विकास किया जा रहा है और आशा है जल्दी ही यह संख्या 2 लाख के लगभग पहुंच जायेगी।

हम खेलकूद के विकास के सुझाव से पूर्णतः सहमत है। पिछले वर्ष अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के कहने पर हमने खेलकूद को राज्य परिषदों और खेलकूद के इंचार्ज मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें यह फैसला किया गया कि इस अवधि के दौरान प्रत्येक विकास खंड कम से कम 15,000 लोगों को एक खेल अथवा शारीरिक शिक्षा गतिविधि में शामिल किया जाये। यह आशा की जाती है कि हम इस विशेष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में समर्थ होंगे।

महिलाओं के दर्जे के सम्बन्ध में बनी समिति ने सिफारिश की है कि हमें लड़कियों के लिए पृथक कालेज नहीं खोलने चाहियें बल्कि हमें उनके लिये अधिक छात्रावास बनाने चाहिये। अब आयोग ने एक नई योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत कालेजों को लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने के लिए उदार सहायता दी जायेगी।

विश्वविद्यालयों का उद्देश्य रोजगार प्रधान शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य मन, शरीर और चरित्र का विकास करना है। हमें युवकों के अन्दर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए।

**इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 7 अगस्त, 1975/16 श्रावण, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।**

*The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, the 7th August, 1975/Sravana 16, 1897 (Saka).*

---



G.M.G.I.P.N.D.—P.M.R.—1284 L.S.—J.C.—1955—25-9-75—200

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 274(19)
DATE. 3.10.25

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]